हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 दिसम्बर, 1986

खण्ड, 3 अंक5

विषय सूची

सोमवार, 1 दिसम्बर, 1986

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर,	(5) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गार तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 21
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव––	
नील गाय और राम गाय आदि द्वारा फसले नषट होने संबंधी	(5) 23
वक्तव्य–	
(1) कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(5) 23
(2) मुख्य मंत्री द्वारा नारनौल तहसील में पेयजल की भारी कमी संबंधी	(5) 26
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(5) 29
सरकारी–संकल्प–	
संविधान (54वां संशोधन) विधेयक, 1986 की रैटिफिकेशेन सबंधी	(5) 30

बिलज–	
(1) दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट), बिल, 1986	(5) 33
(2) दि हरियाणा डिवैल्पमैट एंड रैगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1986	(5)36
(3) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 1986	(5) 41
(4) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल 1986	(5)44
(5) दि पंजाब लैंड रेवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986	(5)52
(6) दि हरियाणा लैड होल्डिंगज टैक्स (रिपील) बिल, 1986	(5)64
(7) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986	(5) 66
(बहस स्थगित)	
– अनैक्श्चर	(5) 68

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 1 दिसम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभ हाल, विधान भवन सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हु ई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cultivable land under Water

***1182. Shri Jagdish Nehra :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) the total area of cultivable land under water in the State at present ;

(b) the area out of that referred to in part (a) above, unfit for sowing rabi crops ; and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to make the said land cultivable ?

Irrigation & power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) 1245 Acres.

(b) 850 Acres.

(c) To lower the sub soil water level 2 Nos. drains have been constructed in village Rori & Surtia and two Nos. shallow tubewells and 2 Ncs. deep tubewells have been laid in

village Phaggu and Desu Khurd with one each against the project of providing protection from sub-soil water to village Phaggu and Desu.

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि कृषि योग्य भूमि पर इस समय जो पानी खड़ा है, उसको डिवाटरिंग कर दिया जाए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह माननीय सदस्य ने मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था कि इनके हल्के में बहुत सारे गांवों के अन्दर फल्ड वाटर खड़ा है, उसको निकलवाया जाए । मैं इन्हें बताना' चाहूंगा कि यह पानी फल्ड का नहीं है, यह सब–सायल वाटर है, जो ऊंचा आ गया है और वहीं खड़ा है । इसके लिये मुख्य मन्त्री महोदय ने आदेश दिये थे कि इरीगेशन विभाग का ड्रेनेज सैल पानी को निकलवाने का काम करे । स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि यह पानी फल्ड वाटर नहीं । दूसरी बात यह है कि हमारे पास फण्डज की बहुत कमी थी । फिर भी हम मुख्य मन्त्री महोदय जी के आदेशानुसार रेन्वैयु विभाग से इस काम के लिये रुपया मांग रहे हैं । धन राशि मिलते ही काम शुरू हो जाएगा और यह जमीन उसके बाद काबिले काश्त हो जाएगी । इस तरह का प्रबन्ध हम जल्दी ही करने जा रहे हैं ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने अपने सवाल के जवाब में सारी स्टेट की फिगर्ज दी हैं । मेरे हल्के गोहाने का एक गांव रानाखेड़ी है जहां पर 40–45 एकड़ भूमि में बरसात का पानी खड़ा है । क्या मिनिस्टर महोदय इस पानी को निकलवाने का शीध्र प्रबन्ध करेंगे ताकि वह जमीन काश्त के लिये बेहतर बन सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इन सभी जगहों पर जो पानी खड़ा है, वह नैचुरल नहीं है क्योंकि कई जगहों पर लोगों ने फिश पोन्डज बना रखे हैं । सब–सायल वाटर या फल्ड वाटर के सम्बन्ध में पर्टीकुलर जगह का आनरेबल मैम्बर बताएंगे तो हम वहां पर भी पानी निकलवा देंगे ताकि जमीन काबले काश्त हो सके ।

चौधरी हुक्म सिंह : स्पीकर साहब, जे० एल० एन० कैनाल साहलावास से रोहतक तक और जहां से यह नहर निकलती है वहां से साहलावास तक के एरिये के साथ साथ एक–डेढ़ किलोमीटर की जमीन पानी के कारण बिल्कुल बरबाद हुई पड़ी है । चौधरी साहब ने पिछली बार बताया था कि इसके साथ–साथ लिंक ड्रेन बनाकर उस पानी को नहर में डाल देंगे । जो जमीन बरबाद हुई पड़ी है, वह ठीक हो जाएगा लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्कीम चालू नहीं हुई है । क्या चौधरी साहब बताएंगे कि इस के क्या कारण हैं? अगर इस तरह की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है तो उस पर काम कब तक शुरू हो जाएगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, 'वैसे तो यह सैपरेट क्वैश्चन है लेकिन जितनी सूचना मेरे पास है, वह मैं बता देता हूं । रोहतक जिले में वाटर लौगिग की वजह से काफी सीपेज हुई है । मैम्बर साहेबान की इस परपोजल को एग्जामिन कर के हमने एक प्रोजैक्ट तैयार किया है कि यहां डिच ड्रेन बना दी जाएं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सम्पवैज्ज बना दिये जाएं और वहां एक इंजन लगाकर वहां का पानी नहर में डाला जाए । यह प्रोजैक्ट अभी शुरू किया है लेकिन फण्डज की कमी के कारण प्रोग्रैस कम है । जैसे–जैसे फण्डज. अवेलेबल होंगे, हम इस काम को जल्दी ही करवा देंगे ताकि उस जमीन को काबले काश्त बनाया जा सके ।

चौधरी कुन्दन लाल : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एक भंबेवा गांव है, वहां काफी पानी भरा पड़ा बै । क्या मन्त्री महोदय इस पानी को निकलवाने का प्रबन्ध करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहेबान जहां का जिकर कर रहे हैं वहां फल्ड का पानी नहीं है । वह पानी तो भंबेवा लेक का है जो 20 साल पुरानी है । उस लेक का पानी जो किसानों के खेतों में जाता था, उसका प्रबन्ध कर दिया गया है । उस लेक का कुछ हिस्सा, बहुत डीप है जिस का पानी अभी रहता है । अगर इस लेक को बन्द करेंगे तो डिप्रैशन ज्यादा होगा और आस पास के खेतों में पानी ज्यादा भर जाएगा ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब मै सवाल के जवाब में बताया कि सारी स्टेट में इस समय 1, 245 एकड़ भूमि में पानी खडा है । क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यह पानी कब से खड़ा है और अगली फसल की बिजाई होने से पहले पहले क्या इस पानी को निकाल कर उस जमीन को जेरे काश्त बना दिया जाएगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इस बार स्टेट में मौनसून फेल हो गई लेकिन सिरसा में एक दफा बड़े जोर की बारिश हुई थी जिसके कारण वाटर टेबल बहुत ऊंचा आ गया और आस पास के इलाके में सेम हो गई । अब इस काम के लिये मुख्य मन्द्री महोदय ने आदेश दिये हैं । ज्यों ही हमें फण्डज अवेलेबल होंगे हम जल्दी ही डि–वाटरिंग का काम आरम्भ कर देंगे ।

Widening of Gurgarhia Nallah in Ambala Cantt.

***1199 Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the Gurgarhia Nallah in Ambala Cantt.; if so, the time by which it is likely to be done so ?

Minister of State for Local Govt. (Shri A. C. Chaudhry): No.

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब का 'न' में जवाब देना बड़ा ही ना–तसल्ली बक्श है । यह

गुडगुडिया नाला 1901 में बना था । उस समय यहां की आबादी 20 हजार के लगभग थी और आज 1 लाख 35 हजार के करीब है । मैं हर सैशन में इस बारे में कहता आ रहा हूं कि इस नाले का एरिया रेलवे, म्युनिसिपल कमेटी, डिफैन्स व ड्रेनेज विभाग से सम्बन्धित है । जब भी थोड़ी सी बरसात होती है तो इस नाले में बाढ़ आ जाती है और लोगों को काफी हैरासमैन्ट का सामना करना पड़ता है । अगर इस को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए तो लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी । सरकार के लिये यह काम कोई बड़ा काम नहीं है । क्या सरकार इस तरफ ध्यान देने की कृपा करेगी?

श्री ए ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, धमीजा साहब ने सवाल किया था कि क्या अम्बाला छावनी में गुडगुडिया नाले को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के जेरेगौर है? जब यह मामला जेरेगौर है ही नहीं, तो मैंने इसका जवाब 'न' में ही देना था । जहां तक इस नाले के कारण बाढ़ की प्रोबलम्ज का सवाल है, इस में हरियाणा सरकार की मजबूरी है क्योंकि इस नाले को चौड़ा करना किसी एक विभाग के बस की बात नहीं है । रेलवे, डिफैन्स, म्युनिसिपल कमेटी और ड्रेनेज विभाग से यह मामला सम्बन्धित है । हमारी हिस्से की हद अम्बाला–जगाधरी रोड से शुरू होती है और हमारे हिस्से के पोर्शन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है । 8,345 फुट का हिस्सा डिफैंस और रेलवे विभाग का है । हम उन पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि अगली

बरसात आने से पहले–पहले वै अपने पार्टस में बाढ़ के पानी को क्लीयर करें । उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस काम को जल्दी ही समय से पहले पूरा कर देंगे ताकि लोगों को परेशानी न हो ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, गुडगुडिया नाला तो है ही, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि धमीजा साहब भी गुडगुडिया हैं (हंसी) मैं जानना चाहूंगा कि इस नाले के अलावा कोई और नाला भी है जिसका उत्तर मन्त्री हां में दे सकते हों?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, धमीजा साहब, आज सैशन शुरू होने से पहले कह रहे थे कि उन्हें ऐसा मालूम होता है कि मन्दी जी ने उनके सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब नहीं दिया, उन्होंने एकदम 'न' में जवाब दे दिया । मैंने उनसे कहा कि अगर यह नाला चौड़ा नहीं हो सकता तो भीड़ा करवा लो ताकि आपकी प्रोवल्ज हल हो जाए । (हंसी)

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मैंने महेश नगर वाले नाले का जिक्र किया है । जो वे बता रहे हैं वह नाला और है । यह तो तोप खाने की तरफ से आ रहा है और तीन– चार जगह का पानी लेता है । ये मेरे साथ चल कर उस नाले को देख लें, अगर इनकी तसल्ली हो जाए तब ' कार्यवाही करवा दें, वरना न करवाएं ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी । हमारी हद में यह नाला अम्बाला–जगाधरी रोड से शुरू होता है, उससे पहले का हिस्सा हमारी हद में नहीं आता । उस नाले को देखने के लिए मैं इनको साथ ले गया था और उसी का नाम गुडगडिया नाला है जैसे मैंने पहले बताया कि रेलवे और डिफैसं वालों ने हमें विश्वास दिलाया णै कि जो हिस्सा उनके चार्ज में है, उसको आने वाली बारिश से पहले पहले पक्का करवा देंगे । 'इस नाले की मेन बीमारी कच्चा होने की है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1214

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री फतेह चन्द विज, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Land acquired in Gurgaon constituency

***1207. Chaudhri Dharam Bir Gauba Will** the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any land was acquired by HUDA in Dundahera, Molahera and Sarhut villeges of Gurgaon constituency ; if so, the year in which the same was acquired; and

(b) whether full payment for the land acquired has been made to the land-owners; if not, the reasons therefor and the amount still remaining to be paid togetherwith the time by which it is likely to be paid ?

उद्योग मन्त्री (श्री श्रीकिशन दास) :

(क) जी हां, 1971,1976, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985 तथा 1988.

(ख) रुपये 5,94,82,363 का मूल मुआवजा, जोकि भूमि अर्जन अधि– कारी द्वारा अवार्ड किया गया था, की पूरी अदायगी हुड्डा द्वारा टैडंर की गई थी, परन्तु रु० 1,21,04,923 की राशि सम्बन्धित भूमि–पतियों द्वारा प्राप्त नहीं की गई । रु० 9,72,64,058 का मुआवजा जोकि उच्च–न्यायालयों द्वारा बढ़ाया गया, में से 3,79, 09,992 अभी अदा किये जाने शेष हैं, क्योंकि यह राशि अलाटीज से वसूल की जा रही है । हुड्डा द्वारा इस राशि की अदायगी अगले छः महीनों में की जानी सम्भव होगी ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया है कि एक करोड़ 21 लाख रुपए के करीब अभी पैसा देना बकाया है । क्या ये बताएंगे कि ये पैसा किसानों ने कलैक्ट क्यों नहीं किया? दूसरे, एनहांसमैंट के बाद 3 करोड़ रुपए के करीब और देना बकाया रहता है । इन्होंने बताया है कि जो प्लाट अलाट हुए हैं, अलाटी उनका पैसा नहीं दे रहे हैं इस वजह से ये पैसा नहीं दे पाए । मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि प्लाट्स तो अभी कटे भी नहीं हें, अलाट कहां से हो गए? यह कहना कितनी गलत बात है कि प्लाट अलाट कर दिए हैं । अगर अलाटी आपको पैसा नहीं देंगे तो क्या आप फारमर्ज को पैसा नहीं देंगे?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, जो पहले कीमत फिक्स की थी उस में से एक करोड़ 21 लाख रुपए बकाया रहते हैं जो हमने बाकायदा दाखिल करवा रखे हैं । वह पैसा किसानों ने इसलिये नहीं लिया क्योंकि कुछ एक का तो आपस में झगड़ा होता है कि यह पैसा कौन लेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि कीमत बढ़ने के बाद लेगे । दूसरा 3 करोड़ के करीब जो रुपया है, उसके बारे में हमने कहा है कि 6 महीने तक दे देंगे । हमने यह बात अदालत में भी कही है कि 6 महीने में यह रुपया दे देंगे ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि न्यायालय ने जो मुआवजे की राशि बढ़ाई है, इस फैसले को कितने दिन हो गए हैं? दूसरा सवाल मैं फरीदाबाद के बारे में पूछना चाहूंगा । न्यायालय द्वारा आज से 5– 6 साल पहले किसानों का मुआवजा बढ़ाया गया था, उनकी अभी तक अदायगी नहीं की गई है । इन किसानों की जिन्दगी का साधन उनकी जमीन थी जो 5– 7 साल पहले उनके हाथ से चली गई । आज उनको रोजी–रोटी से महरूम रहना पु रहा है, क्या उनको जल्दी पैसा दिलाएंगे? तीसरा सवाल मेरा यह है कि हुड्डा जो किसानों की जमीन रिहायशी परपज के लिए या और परपज के लिए एक्वायर करता है, क्या उन किसानों को प्लाट्स देने में प्रियारिटी दी जाएगी?

श्री श्रीकिशन दास : मैंने अभी बताया है कि जो बकाया तीन करोड़ रुपए के करीब रहता है, वह 6 महीने के अन्दर–अन्दर

दे दिया जाएगा । किसानों को प्लाट देने के बारे में अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री लछमन सिंह : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जिस एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ा दिया है, अगर उसी एरिया में आप दोबारा जमीन एक्वायर करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिक्स किये गए रेट्स पर करेंगे. या एल ० ए ० ओ ० अपनी मरजी से फिक्स करेगा?

श्री श्रीकिशन दास : पहले तो पिछले पांच साल की औसत निकाल कर मुआवजा देते थे लेकिन अब कोर्ट के फैसले के मुताबिक पिछले एक साल में जो बाजार का रेट होता हे, उसके मुताबिक देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल था कि कोर्ट ने जिस एरिया का जो रेट तय किया है, अगर उसी एरिया में आप दोबारा जमीन एक्वायर करोगे तो क्या उसका भी वही रेट देंगे?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, एक ही एरिया में अलग किस्म की जमीन हो सकती है । जैसी जमीन होगी उसके हिसाब से ही मुआवजा दिया जाएगा । जमीन की कीमत तो जमीन देख कर ही लगाई जाती है ।

चौधरी धर्म वीर गाबा : स्पीकर साहब, जो जमीन एक्वायर की जाती है उसका कम्पनसेशन कम दिया जाता थे इसलिए लोग कोर्ट में चले जाते हैं । जब उस जमीन के

कम्पनसेशन का फैसला कोर्ट से होता है तो वह पैसा लोगों को सरकार की तरफ से इन्स्टालमैंट्स में दिया जाता है । होना ऐसा चाहिए कि जिस कोर्ट से फैसला होता है वह सारा पैसा उनको एकदम मिलना चाहिए न कि इन्स्टालमैंटस में। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह सारा पैसा एकदम दिया जाएगा?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, अब जल्दी ही सारे पैसे की एकदम पेमेंट कर दी जाती है क्योंकि अब ब्याज भी 15 परसैट हो गया है । यदि हम जल्दी पेमैंट नहीं करेंगे तो सरकार को 15 परसैंट ब्याज देना पड़ेगा । अब तो हम जल्दी से जल्दी सारे पैसे का भुगतान कर रहे हैं ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, ऐसे बहुत से केस पड़े हैं जिनका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है और फैसला हुए लगभग 6–6 और 7–7 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कम्पनसेशन नहीं मि ना है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन किसानों को, उनके कम्पनसेशन के पैसे का जल्दी भुगतान करेगी क्योंकि 6–6 और 7– 7 साल पहले उनकी जमीन बहुत सस्ते रेट पर एक्वायर की गई थी । दूसरा मेरा एक सवाल फरीदाबाद के बारे में है और एक जनरल सवाल है । आपने भी फरीदाबाद काफी दफा देखा होगा । वहां पर जिन गांवों की जमीन एक्वायर की गई थी, वे गांव सैक्टर्ज के बीच में आ गए हैं, इसलिए गांवों को बाहर बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है । सरकार ने किसानों की भलाई के बहुत हे काम किए हैं,

इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई है, क्या उनको मकान बनाने के लिए प्लाट दिए जाएंगे?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर सहिब, माननीय सदस्य यदि इस बारे में लिख कर देगे तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, एक्वायर की हुई जमीन के मुआवजे की बात हो रही है । यह सवाल तो गुडगावां जिले के बारे में है लेकिन मैं कुरुक्षेत्र के बारे में आपकी इजाजत से एक सप्लीमैंटरी पूछना चाहूंगा । जब सरकार किसानों की जमीन एक्वायर करती है तो उसकी बहुत ही कम कीमत दी जाती है इसीलिए किसानों को कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां कम्पनसेशन बढ़ जाता है । कोर्ट के फैसले के बाद भी हुड्डा वाले किसानों को उनके मुआवजे का पैसा इन्हटालमैंट्स में देते हैं । कुरुक्षेत्र जिले के बहुत से किसानों का पैसा अभी देत्ना बाकी है । अभी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी भी कह रहे थे कि लोगों का 6 साल पहले का मुआवजे का पैसा सरकार की तरफ पड़ा है । मैं मली जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार, जिन किसानों का मुआवजे का पैसा बकाया पड़ा है, उनको वह सारा पैसा जल्दी से जल्दी देगी और क्या उस पैसे का भुगतान एकदम किया जाएगा?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, जिनकी जमीन एक्वायर की जाती है, वे पहले सैशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं । ज्यों ही तीनों कोर्टस से फैसला होता है, उसके मुताबिक पैसे का भुगतान कर दिया जाता है ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, मंत्री जी की नालेज में है कि हांसी में कोई भी डिवैल्पड कालोनी नहीं है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हांसी में कोई कालोनी बनाई जाएगी?

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, जो आदमी हुड्डा से प्लाट लेता है, वह अपना मकान बनाने के लिए लेता है लेकिन उस पर लोग कई–कई साल तक मकान नहीं बनाते हैं. । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई मियाद फिक्स करेगी कि 3 साल, 5 साल या 6 साल में उस प्लाट पर मकान बन जाना चाहिए?

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने मेन सवाल के भाग. (ए) का जवाब दिया है कि 1971, 1976, 1977, 1978, में जमीन एक्वायर की गई थी । मैं मली जी से जानना

चाहता हूं कि क्या जिस मतलब के लिए वह जमीन एक्यायर की गई थी, उस मतलब के लिए वह यूटिलाइज हो गई है, यदि यूटिलाइज नहीं हुई है तो 1983,1984,1985 और 1986 में जमीन एक्वायर करने की क्या जरूरत थी?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, वह सारी जमीन यूटिलाइज हो चुकी है और लोगों को प्लाट काट दिए गए हैं ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस एरिया में जमीन एक्वायर की जाती है, क्या उस एरिया के लोगों की डिमांड पर एक्वायर की जाती है या सरकार की अपनी तरफ से कोई स्कीम होती है?

श्री श्री किशन दास : स्पीकर साहब, जहां से डिमांड आती है वहां जमीन एक्वायर की जाती है ।

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, गुडूगावां जिले में लोगों का कम्पनसेशन का 3.79 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिस तरह से गुड़गांवा जिले में लोगों का पैसा बकाया है, इसी तरह से बाकी जिलों का कितना पैसा बकाया पड़ा हे?

श्री अध्यक्ष : इस समय तो इन के लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा ।

चौधरी चन्दा सिंह : स्पीकर साहब, जो जमीन एक्वायर की जाती है उसके लिए लोग कोर्ट में जाते हैं और उनका दोगुना, तीन गुणा मुआवजा बढ़ जाता है । लोग इसलिए कोर्ट में जाते हैं क्योंकि एल० ए ०ओज० जमीन की प्राइस बहुत कम फिक्स करते हैं । यदि किसानों को मुआवजा मार्किट रेट पर सही मिल जाए तो कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा । क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी? दूसरा मेरा सवाल है कि जब प्लाट्स काट कर दिए जाते हैं तो उसमें डिवैल्पमैंटल चार्जिज वगैरह डाल कर प्लाट की कीमत फिक्स की जाती चाहिए । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्लाट्स की कीमत फिक्स करते समय उसमें डिवैल्पमैंटल चार्जिज बगैरह डाल कर फिक्स की जाएगी ताकि उससे ज्यादा मुनाफा न ले सकें जितना किसानों को कम्पनसेशन दिया गया है? देखने में आया है कि प्लाट्स काटते समय डिवैल्पमैंटल चार्जिज डालकर भी डेढ़ गुणा कीमत वसूल की जाती है । यदि 10 या 12 रुपए गज के हिसाब से जमीन एक्वायर की जाती है और उस पर 30 या 40 रुपए डिवैल्पमैंटल चार्जिज आते हैं डिवैल्पमैंटल चार्जिज डालकर अगर वह प्लाट 200 रुपए प्रति गज बैठता है तो वह 300 रुपए प्रति गज का दिया जाता है । इतना ज्यादा मुनाफा लिया जाता है, चाहे ए, बी, सी, कोई भी शहर हो । लोगों से इतनी कीमत वसूल की जाती है तो भी लोग डिवैल्प नहीं करते, कई सालों तक प्लाट ऐसे ही पड़े रहते हैं, उस जमीन से कोई आमदनी भी नहीं होती । उस जमीन में सब्जी बगैरह की फसल हो सकती है लेकिन कई सालों तक वह जमीन वैसे ही पड़ी रहती

है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई स्कीम बनाएगी जिससे वह एरिया जो एक्वायर किया जाता है, जल्दी ही डिवैल्प हो सके?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने सवाल पता नहीं क्या किया है इन्होंने तो भाषण दे दिया है, मैं उत्तर क्या दूं, मुझे पता नहीं लगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जमीन एक्वायर करने के बाद कई सालों तक वैसे ही पड़ी रहती है, उसको डिवैल्प क्यों नहीं किया जाता?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है । सभी जगहों पर प्लाट काट दिए हैं । मकान एक दफा नहीं बन सकता, फेजिज में बनता है । यदि कोई आदमी प्लाट ले कर 3 साल तक मकान नहीं बनाता है तो तीन साल के बाद पहले साल में डेढ़ रुपया पर–गज के हिसाब से, दूसरे साल दो रुपए पर–गज के हिसाब से पैनल्टी लगाई जाती है । इस तरह से अब व ह आदमी 8 साल तक रख सकता है, पहले प्लाट पर यदि मकान नहीं बनाया जाता था तो उसको कैंसिल कर दिया जाता था ।

श्री बृज मोहन : स्पीकर साहब, हरियाणा में बहुत सी जगहों पर हुड्डा ने कालोनीज डिवैल्प की हैं । जहां पर लोगों को प्लाट काट कर अलाट किए जाते हैं, उन जगहों पर मन्त्री जी अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से प्लाट अलाट कर देते हैं । मैं मन्त्री

जी से. पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी अलग–अलग जगहों पर एक ही आदमी को अपने कोटे से प्लाट अलाट कर सकते हें?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, मेन सवाल से इस सप्लीमैंटरी का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जमीन का कम्पनसेशन बढ़ा है । जो लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, उनको मुआवजा बढ कर मिलता है । लेकिन जो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते उनको नहीं मिलता है । मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो गरीब लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, क्या उनको भी उनकी जमीन का मुआवजा उतना ही देने के लिये सरकार विचार करेगी जितना कोर्ट मेँ जाने वालों को मिलता है? कई गरीब किसान किसी मजबूरी के कारण कोर्ट में नहीं जा सकते । उनके बराबर वाला कोर्ट में चला जाता है और उसकी जमीन का कम्पनसेशन बढ़ जाता है और उसको बडा हुआ कम्पनसेशन मिल जाता है, लेकिन जो गरीब किसान किसी मजबूरी के कारण कोर्ट में नहीं जा सकता उसको उतना नहीं मिलता ।

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, सैशन कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है, वहां कोई खर्चा नहीं लगता । जो कोर्ट में नहीं जाएगा उसको बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया जा सकता ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हू । मन्त्री जी ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है, उनको प्लाट नहीं दिया जा सकता । हिन्दुस्तान में यह परम्परा है कि बाप दादे की जायदाद को सम्भाल कर रखा जाता है और धरती को हम मां कहते हैं । किसान की धरती जो मां के समान है, वह उससे छिन जाए ओर उसको रहने के लिए एक प्लाट भी न मिले, यह ठीक बात नहीं है । मन्त्री जी ने तो एक माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में कह दिया कि आप लिख कर दे दें, उस पर विचार कर लेंगे । मैं मन्त्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि जिस किसी किसान की जमीन एक्वायर की जाए, जिसको किसान अपने बाप दादा की जायदाद समझते हैं और अपनी मां मानते हैं, उनको भी रहने के लिए उसका थोड़ा सा हिस्सा जरूर दिया जाना चाहिए ।

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं ।

Abolition of House Tax

***1215. Chaudhri Lila Krishan :** Will the Minister of State for Local Goverment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish House Tax within the municipal area in the State; if so, the time by which it is likely to materialise ?

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhry) No,

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, हाउस टैक्सिज में 3 कैटेगरीज हैं, एक हाउस बिल्डिग दूसरी बिजनैस प्रिमिसिज और तीसरी इण्डस्ट्रीज इन दो कैटेगरीज की अपेक्षा हाउस टैक्सिज से सरकार को बहुत कम पैसा आता है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हाउस टैक्स को माफ करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, आज के दिन शहरों में लोगों के स्टैण्डर्ड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं । कोई ऐसा समय था जब एक नल भी मोहल्ले वाले लेने के लिए तैयार नहीं होते थे जबकि आज के दिन हर आदमी अपने घर के लिए अलग से पानी की और सीवरेज आदि की मांग करता है. । आज के दिन कमेटियों की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है । यदि इनकी मांग को देखते हुए ओकट्राय और हाउस टैक्स में से कोई भी एक चीज खत्म कर दी जाये तो इससे शहरों की दशा काफी खराब हो जाएगी इसलिये हाउस टैक्स को खत्म नहीं किया जायेगा ओर न ही ऐसी कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है । सैल्फ आकुपाइड जो मकान हैं, उन पर पहले ही कम टैक्स है । जो पैसा इन टैक्सों से आता है, उसमें से 75 परसैन्ट पैसा नगरपालिकाओं की एस्टैब्लिश– मैट पर खर्च होता है ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कीऐसी योजना हे कि जो निजी रिहाइशी मकान हैं, उनको हाउस टैक्स से छूट दे दी जाये?

श्री ए० सी० चौधरी : मैंने पहले भी बताया है कि सैल्फ आकुपाइड मकानों पर बहुत कम टैक्सिज हैं । ऐसी कोई बात सरकार के विचाराधीन नहीं है कि निजी रिहाइशी मकानों को हाउस टैक्स से छूट दे दी जाये ।

श्री ओम प्रकाश महाजन : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहुंगा कि हरियाणा की कई नगरपालिकाओं के अन्दर 60– 70 साल की आयु के काफी वृद्ध आदमी रहते हैं । इनमें ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसहारा हैं और जिनकी आमदनी का कोई साधन नहीं है । इनमें कई ऐसे गरीब भी हैं जो अपने बच्चों को या अपने मां–बाप को दो जन की रोटी भी नहीं खिला सकते । ऐसे लोग' जो मकान बनाते हैं, उनके मकानों की जब 5 साल बाद असैसमैंट होती है तो उनको 30 दिन का समय अपील करने के लिए मिलता है । इनमें से काफी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती इसलिये वे अपील भी नही कर पाते । इन हालात में उन पर 300–400 रुपया टैक्स लग जाता है जिसको वे दे पाने में असमर्थ होते हैं । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे लोगों को टैक्स से छूट देने पर विचार कर सकते हें? दूसरी बात यह है कि मौजूदा कानून के आधार पर हम किसी से 25 परसेन्ट से अधिक टैक्स वसूल नहीं कर सकते । मान लीजिए किसी ने मकान आज से 10 साल पहले बनाया है और उसका किराया पहले 300 रुपये था और आज वह बढ़ते वढ़ते 450 या 500 रुपये हो गया है । उसी मौहल्ले में एक

मकान आज ही बना है और उसका रेट 1500 रुपये है । उसी मौहल्ले में एक से कम टैक्स वसूल किया जाता है और दूसरे से ज्यादा । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि एक मौहल्ले में सभी से एक जैसा टैक्स वसूल किया जापे?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मेरे फाजिल दोस्त पहले इसी महकमे के वजीर रह चुके हैं और इन्हें म्युनिसिपल एक्ट के बारे में बहुत कलियर पता होगा । पहली बात इन्होंने यह कही हे कि बेसहारा लोगों को सरकार सुविधा दे और उनके सीथ टैक्स के मामले में भी हमदर्दी दिखाये । इस बारे में मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में वचनबद्ध है कि ऐसे बेसहारों के साथ पूरी हमदर्दी की जाये । सरकार ऐसे मामलों 'में पूरी हमदर्दी के साथ पेश आयी हे और आगे भी आती रहेगी । जो ऐसे बेसहारा लोग हैं उनका टैक्स सरकार ने माफ किया है । ऐसे केसिज में सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटीव और डिस्क्रीशनरी पावर्ज हैं । इन पावर्ज के द्वारा सरकार ऐसे लोगों की मदद करती रहती है । दूसरा सवाल इन्होंने किया कि एक मौहल्ले में रहने वालों से अलग अलग रेट पर टैक्स' वसूल किया जाता है । एक मकान तो बहुत पुराना बना हुआ है जबकि दूसरा आधुनिक ढंग से बना हुआ है जिसमें सभी. सुविधाएं उपलब्ध हैं । इसलिये नए बने हुए मकान की वैल्यू भी पुराने बने हुए मकान से अधिक होती है एक मकान से तो 500 रुपये की आय हो और दूसरे से, जो आज

के ढंग से बना है, उसकी आय 2000 रुपये हो तो फिर दोनों से टैक्स एक जैसा कैसे वसूल किया जा सकता है? रैन्ट वैल्यू पर ही हम टैक्स वसूल करते हें इसीलिये किसी के साथ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब क्यो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिहाइशी मकानों पर जो साढ़े बारह परसेन्ट रेन्टल वैल्यू के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाता है, उसमें कुछ रियायत देने का विचार है?

श्री ए० सी० चौधरी : मैंने पहले भी बताया है कि रिहायशी मकानों पर तो बहुत कम टैक्स लगाते हैं । यदि इनके ध्यान में ऐसी कोई बात है कि कही पर रिहाइशी मकानों से टैक्स अधिक वसूल किया जा रहा है तो हमारे नोटिस में लाएं, हम इन्साफ दिलवाने की कोशिश करेंगे ।

चौधरी कुन्दन लाल : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो बहुत गरीब लोग हैं और वे कई सालों से टैक्स नहीं दे पा रहे हैं क्या उनका टैक्स माफ करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो पहले पूछा जा चुका है ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री जी पूछे गए सवाल पर कह चुके हैं कि जो रिहाइशी मकान हैं उनको हाउस टैक्स से छूट देने की कोई बात नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि

क्या ये हाउस टैक्स को माफ करेंगे और जो आमदनी कम होगी, उसको दूसरी कमर्शियल बिल्डिग या रैन्टिड बिल्डिग पर टैक्स बढ़ा कर पूरा करेंगे ताकि हाउस टैक्स का जो घाटा हो वह इन से पूरा हो सके और रिहाइशी मकान वाले लोगों को हाउस टैक्स से राहत मिल सके?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, यह तो बड़ा अजीब सा सवाल है । लोकतान्त्रिक ढांचे में सरकार किसी के साथ भेद भाव नहीं कर सकती । यह कैसे हो सकता है कि एक का टैक्स माफ करे और उससे होने वाले घाटे को दूसरे पर लगा कर पूरा कर लिया जाये?

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, जो लोग (ए) क्लास (बी) क्लास या (सी) क्लास की जगह पर अपना मकान बनाते हैं, उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं । जिनकी मन्थली इन्कम बहुत अधिक है । जो मंथली इन्कम के हिसाब से हाउस टैक्स दे सकता है, उससे तो टैक्स ले लिया जाये और जो दूसरे लोग, जिनकी मन्थली इन्कम इतनी नहीं है, वह टैक्स आसानी से नहीं दे सकते और आज के जमाने में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को रोटी खिला रहा हो, क्या ऐसी स्थिति में उन गरीब लोगों से हाउस टैक्स वसूल न करने के सुझाव को मानेंगे?

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, टैक्स तो प्रौपर्टी पर लगना है, पर्सनैलिटी पर नहीं ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मैं आदरणीय सदस्य को अर्ज करूंगा कि नौर्मली जो गरीब इन्सान हैं, लो और लोयस्ट ग्रुप के हैं, उनके पास साधन के मुताबिक ही ऐकोमोडेशन होती है । बड़ी मुश्किल से वे एकाध कमरा ही अपनी आय बढ़ाने के लिये किराये पर देते हैं । वे 2, 3 या 5 वैड रूम्ज किराये पर नहीं देते । उसी के मुताबिक उन पर टैक्स लगता है । ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज भी इन्सान हैं । जब वे असैसमैंट करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हें । सरकार की तरफ से उनको हिदायतें भी हैं कि गरीब इन्सान को कम से कम टैक्स लगाएं, बिल्कुल 'न' के बराबर टैक्स लगाएं । ये उनको वरबल इंस्ट्रक्शन्ज होती हैं ताकि कोई रौंग प्रैसिडैंट कायम न हो जाए ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जिन लोगों के पास जराय नहीं है, मीन्ज नहीं हैं और कोई धन्धा नहीं है बल्कि बेकार हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए । अध्यक्ष महोदय, आज के हालात को आप बखूबी जानते हैं । मेरा कस्बा इंडस्ट्रियल टाउन है और आज इंडस्ट्रीज की क्या हालत है और मजदूर की क्या हालत है यह किसी से छुपी नहीं है । जिन मजदूरों के' पास कोई सोर्स औफ इन्कम नहीं है, रोटी कमाने का कोई साधन नहीं है, जो औप्रैस्ड सैक्शन औफ सोसाइटी है क्या उनकें ऊपर उनकी आमदनी का ध्यान रखते हुए हाउस टैक्स लगाया जाएगा?

श्री ए० सी० चौधरी : इस बारे में सरकार की जबानी हिदायतें बड़ी क्लीयर हैं । सरकार की उनसे पूरी सिम्पथी है ' । अगर उनकी तरफ कोई एरीयर्ज हैं तो इजीयस्ट पोसीबल इंस्टालमैंट करके भी सरकार उनको राहत पहुंचाएगी यह सरकार की अश्योरैंस है ।

Unauthorised cutting of trees, etc.

***1221 Shri Brij Mohan :** Will the Minister of State for Revenue be pleased to state—

(a) the number of cases of unauthorised cutting of trees by road side, if any, registered in the State during the year 1985-86, togetherwith the number thereof and the amount of loss involved therein ; and

(b) whether any cases of stolen wood were also registered during the period, as referred to in part (a) above; if so, the quantity of wood, if any, recovered and the income accrued from the sale of such wood ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिये गवर्नमेंट ने एंक्टैशन मांगी है जोकि ग्रान्ट कर दी गई हैं । इस बारे में सम्बन्धित मन्त्री से आया पत्र इस प्रकार है :—

***INTERIM REPLY**

"NIRMAL SINGH

D.O.No 25752

Minister of State for

Revenue & Forest, Haryana, Chandigarh.

Date 27-1L-1986.

Subject : Unauthorised cutting of trees. Dear, Shri Tara Singh Ji,

Kindly refer to the above mentioned Starred A.Q. No. 1221 asked by Shri Brij Mohan Singla, M.L.A. which has been fixed for 1st December, 1986. The information asked for is not readily available and has to be collected from the field. Efforts are being made to collect this information at the earliest. As the collection of the desired information is likely to take some time, it is requested that the Govt. may kindly be given ten days extension in time for answering this question.

Yours sincerly,

Sd/—

(Nirmal Singh)

Sardar Tara Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Wakf land in the State

***1183 Shri Jagdish Nehra :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the total area of Wakf land in the State as at

present; and

(b) the area of land out of the land referred to in part (a) above, as is under the possession of the Wakf Board ?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) 1,38,880 kanals 16 marlas.

(b) 92,029 kanals.

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वक्क बोर्ड की लगभग 46,851 कनाल जमीन किसके पास है और इसको वक्फ बोर्ड को दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भी बहुत से केसिज हें जहां ग्रेव यार्डज की जमीन के ऊपर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसको हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, कई लोगों ने वक्फ जमीन पर कब्जा कर रखा है । उसको छुड़ाने के लिए कई मैयर्ज गवर्नमैंट ने लिए हैं । जो एक अर्सा होता है उसमें बढ़ौतरी करके उसे – तीस साल कर दिया है । उसके बाद केसिज चला करके इल्लीगल पोजैशन को हटाया जा सकता है । 12 साल का पीरियड अन्डर नौर्मल ला होता है । इसके अलावा, एक सुझाव यह है कि जो वक्फ की प्रौपर्टी है, वह पब्लिक प्रिमेसिज एऐक्ट के तहत लाई जाए ताकि उसके ऊपर परमानैन्ट कब्जा हो ही नहीं । एक सुझाव यह भी है कि इसे पंजाब विलेज कौमन लैड ऐक्ट के

तहत लाया जाए । स्पीकर साहब, ऐसा हुआ कि कई जमींने शामलात देह मानी जा कर पंचायत में वैस्ट कर गई । अब विचार यह हो रहा है कि वक्फ की जमीन को शामलात देह प्रौपर्टी से निकाल कर वापस वक्फ बोर्ड को रैस्टोर कर दिया जाए । जमीन को रैस्टोर करने के लिए कार्यवाही चल रहीं है । सैन्ट्रल गवर्नमैंट में जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं उन्होंने मुख्य मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वक्फ बोर्ड की प्रौपर्टी को जल्दी से जल्दी इल्लीगल पोजैशन से छुडवाकर वापस वक्फ बोर्ड को दिया जाए ।

स्पीकर साहब, जहां तक नेहरा साहब के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि ग्रेव यार्डज पर इल्लीगल पोजैशन हो गया है, यह बात दुरुस्त है कि कई जगह ग्रेव यार्डज पर इल्लीगल पोजैशन हो गया है । देहात में, विशेषकर जहां मुसलमानों के एक दो घर थे, उनके वापस पाकिस्तान चले जाने के बाद, उनकी कोई देख रेख नहीं रही । ऐसी कई जगहों पर ग्रेव यार्डज के ऊपर इल्लीगल अकुपेशन हो रहा है । उसको छुड़ाने के लिए भी हम बेहद कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट के अन्दर वक्फ की जो 1,38,880 कनाल 16 मरले जमीन है इसकी तथा इल्लीगल पोजैशन वाली जमीन की डिस्ट्रिकवाइज क्या ब्रेक अप हे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, वक्फ जमीन की डिस्ट्रिक्टवाइज ब्रेक अप इस तरह से हैं । ये आकड़े उस वक्त के हैं जब हमारे कुछ जिले इकट्ठे थे ।

करनाल और कुरुक्षेत्र	31,000 कनाल
अम्बाला	22,675 कनाल
गुड़गांव और फरीदाबाद	40,800 कनाल
रोहतक और सोनीपत	11,132 कनाल
हिसार, सिरसा और भिवानी	30,619 कनाल
महेन्द्रगढ़	1,642 कनाल
जींद	981 कनाल

स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्टवाइज जो जमीन इल्लीगल अकुपेशन में है, उसकी फिगर्ज हम कोलैक्ट कर रहे हैं । इस वक्त ये फिगर्ज मेरे पास नहीं हैं । आते ही मैं मैम्बर साहब को दे दूंगा ।

चौधरी तैयब हुसैन : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत वजीर मोहतरिम से जानना चाहूंगा कि जो जमीन नाजायज कब्जे में है, उसको वापस लेने के लिए गवर्नमैंट ने क्या–क्या कोशिश की है ताकि वह नाजायज कब्जे में न रहे? मैं इनसे यह

भी जानना चाहता हूं कि जो जमीन लोकल बौडीज के कब्जे में है, उसको छुड़वाने के लिए सरकार ने क्या–क्या कार्यवाही की है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, सन 1981 के 11वें महीने में सैडल गवर्नमैंट ने पंजाब वक्फ बोर्ड को सुपरसीड कर दिया था । पंजाब वक्फ बोर्ड के अन्दर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल आते हैं । सुपरसैशन के बाद एक ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकरर्र किया गया । सन् 1983 से श्री नसीम अहमद इसके ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुए हैं । तैयब हुसैन जी स्वयं इसके चेयरमैन रहे हैं और शायद इन बातों की मेरे से ज्यादा इनकी नालेज होगी । इन्होंने यह पूछा है कि इल्लीगल पोजैशन की जमीन को छुड़वाने के लिए गवर्नमैंट क्या कार्यवाही कर रही है? यह बात मैंने अपने जवाब में पहले बता दी है कि वह पीरियड बढ़ा दिया है जिसमें केसिज चला कर जमीन छुड़वा सकते हैं । कई जगहों में केसिज का फैसला हमारे हक में हो गया है । लेकिन लोगों की सैंटिमैंटल अटैचमैंट को देखते हुए कोर्ट के डिसीजन के बाद भी कोशिश यह की जाती है कि उनके साथ नैगोशिएट करके जमीन को लीज पर देकर लीज का पैसा हासिल किया जाए । इस जमीन को छुड़ाने के बारे में जो हमने कार्यवाही की है, वह भी बता दूं । तैयब साहब की यह बात दुरुस्त है कि गवर्नमैंट के कई अदायरों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जैसे म्युनिसिपल कमेटी है या कोई अन्य संस्था है, उसके लिए डिप्टी कमीश्नर साहेबान कौ लिखा गया है कि जल्द से जल्द इसकी लिस्ट बना कर ब्यौरा

दिया जाये । दूसरे जो वेरियस डिपार्टमैंट्स ने टेक–ओवर कर रखी है उनके बारे में कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी है कि डी० सीज० को लिखा जाये कि वक्फ की जमीन को फौरन छुड़ाने के बारे में प्रबन्ध किया जाये ।

चौधरी शकरुल्ला खां : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन मस्जिदों पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, क्या सरकार उनको छुड़ाने की कोशिश करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इस समय कुल 4272 मस्जिदें हैं और हो सकता है कुछ मस्जिदों की फिगर्ज हमें न मिली हों क्योंकि जो छोटे–छोटे गांव हैं, वहां पर छोटी–छोटी मस्जिदें हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई न हो, मुमकिन है उन मस्जिदों पर कब्जा कर रखा हो । जैसे–जैसे हमारे नोटिस में आती हैं, हम उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं । हमारे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है । अगर उनके नोटिस में है तो वे लिख कर दे दें ।

चौधरी शकरुल्ला खां : स्पीकर साहब, कितनी ही मस्जिदें हैं जहां पर कब्जे हैं । सोनीपत रोहतक, अम्बाला, पानीपत, मेहम और सोहना आदि में मस्जिदें सरकार के कब्जे में हैं । वहां पर मुसलमानों की आबादी भी है लेकिन सरकार ने किसी में स्कूल बना रखा है, किसी में पुलिस चौकी बना रखी है और किसी में मन्दिर बना रखा है । काफी मस्जिदें हैं जिनपर

नाजायज कब्जा है, मैं लिख कर भी दे दूंगा । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इनको खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : यह बात हो सकती है कि कई मस्जिदों में दीनीमकतब बना रखे हों, इस्लामी तालीम देने के लिए । लेकिन जहां पर गवर्नमेंट टेक–ओवर करके किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रही है तो मैं हाउस को अश्योरैन्स देता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द छुड़वाने की कोशिश करेंगे । शकरुल्ला जी लिस्ट बना कर दें कि किस मस्जिद को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा **चौधरी तैयब हुसैन :** स्पीकर साहब, जो इस दुनिया में आया है उसे वापिस भी जाना है । कई जगहों के वाक्यात नोटिस में आये हैं कि मौत हो जाती है लेकिन उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं होती । मजबूरी में अपने घरों में दफनाना पड़ा है । जहां तक कब्रिस्तान या वक्फ बोर्ड की जमीन छुड़ाने की बात है, उसे फौरी तौर पर छुड़ाया जाये । कई जगहों पर दफनाने के लिए चार–चार, पांच–पांच मील पर ले जाना पड़ता है ।

कर्नल राव राम सिंह : तैयब जी, दुरुस्त बात कह रहे हैं कि जो आया है उसने जाना है । जहां तक ग्रेव यार्ड का सस्बन्ध है, उस बारे में नसीम अहमद जी ने मीटिंग की है और कहा है कि उनकी बाउन्डरीवाल फौरन बनायी जाये । जैसे–जैसे पैसा मुहैया होता जायेगा, जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड ग्रेव यार्ड की

बाऊडरी वाल कंस्ट्रक्ट करवा देगा ताकि इल्लीगल पोजैशन न हो । तैयब जी ने जो ऐग्जिस्टिग तकलीफ बतायी है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि शहरों में तकरीबन हर जगह पर ग्रेव यार्ड हैं और उनकी बाउन्डरीवाल जल्द से जल्द बनायी जायेगी । देहातों में मेवात को छोड्कर जहां पर मुसलमानों के दो चार मकान हैं, हो सकता है वहां पर ग्रेव यार्ड का प्रबन्ध न हो लेकिन बाकी जगहों पर है । स्पीकर साहब जहां पर साइजेबल मैजोरिटी में मुसलमानों की पापुलेशन होगी, वहां ग्रेव यार्ड का प्रबन्ध वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जायेगा लेकिन जहां पर दो तीन आदमी हों उनके लिए भी जगह का प्रबन्ध वक्क बोर्ड करे, वहां मुश्किल है । यह बात मैं ऐग्जामिन करा सकता हूं लेकिन मैं कुमिट नहीं कर सकता कि जहां पर गांव में एक दो घर हों, वहां पर ग्रेव यार्ड का प्रबन्ध किया जायेगा । वक्फ बोर्ड की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रैजन्टेटिवज हैं, उन्हें अथोराइज कर रखा है कि वे एम्बुलेन्स का इन्तजाम करके उन्हें ले जायें । मैं अपने मोहतरिम दोस्त से सहमत नहीं हूं कि जहां पर मुसलमानों का एक–एक दो–दो मकान हैं उसके लिए ग्रेव यार्ड वक्फ बोर्ड खरीदेगा, इस वक्त यह मुमकिन नहीं होगा । बाकी इसको एग्जामिन जरूर करवा लेगे ।

चौधरी तैयब हुसैन : स्पीकर साहब, जहां कम लोग हैं वहां पर ज्यादा जरुरत है । उन लोगों को ज्यादा दूर ले जाने में दिक्कत पेश आती है, वे अकेले नहीं ले जा सकते । जहां पर

ज्यादा हैं, वे आसानी से ले जा सकते हैं । ऐसी मिसालें हैं जहां घरों में जगह खोद कर सहन में दफनाया गया है ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जहां पर ग्रेव यार्ड का प्रबन्ध नहीं है वहां ग्रेव यार्ड का प्रबन्ध करने की पूरी कोशिश करेंगे ।

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर साहब जो जमीन वक्फ की लीज पर चढ़ी हुई है वह बहुत सस्ती लीज पर है, उस जमीन से लाखों रुपया आ सकता है लेकिन पहले वह कौड़ियों के भाव दी हुई है और यह मिलीभगत से दी हुई है । क्या मिनिस्टर साहब इस का कोई इलाज कर रहे हें ?

कर्नल राव राम सिंह : यह बात किसी हद तक दुरुस्त है । पहले यह जमीन कौड़ियों के भाव लीज पर दी हुई है । मैं इस बारे में कह सकता हूं कि बहुत दिनों से कोशिश की जा रही हे कि इस गलती को रैक्टीफायी किया जाये । जब वक्फ बोर्ड के श्री नसीम अहमद जी एडमिनिस्ट्रेटर बने, उस वक्त वक्फ बोर्ड में 57 लाख रुपये का घाटा था लेकिन इस वक्त वक्फ बोर्ड के 57 लाख के घाटे को वाइप आउट करके एक करोड़ 82 लाख की एफ ० डी ० आर ० खरीद ली है और उससे वक्फ बोर्ड का काम चला रहे हैं । यह ठीक बात है कि बहुत सी प्रोपर्टी कौड़ियों के भाव और इल्लीगल तौर पर लोगों के कब्जे में है । हमारे पास फील्ड

स्टाफ कम है लेकिन जहां तक हो सकता है बाई नैगोशियेशन या बाई कोर्ट उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने कहा कि पोजैशन लेने की मियाद तीस साल तक बढ़ा दी है लेकिन आज देश को आजाद हुए 3 कु साल होने जा रहे हैं, फिर भी उन्हें कब्जा नहीं मिल रहा है । फैसलों को लिगर आन किया जा रहा है । इस का मतलब यह है कि तीन साल के बाद 42 साल हो जायेगे । पहले इन कब्जों को छुड़ाने की मियाद 12 साल रखी हुई थी लेकिन अब उसें. तीस साल कर दिया है तो तीस साल और 12 भी 42 साल हो जायेंगे इसलिये यह मियाद और ज्यादा की जानी चाहिए ताकि इन जमीनों का कब्जा छुड़ाया जा सके । अगर यही बात रही तो आहिस्ता–आहिस्ता 33 परसैन्ट जमीन पर लोगों का नाजायज कब्जा हो जायगा और वक्फ बोर्ड हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा ' । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि छोटे–छोटे गांवों में या देहातों में ही मस्जिदों पर कब्जा है, ऐसी बात नही है । शायद देहातों में नाजायज कब्जा कम हो और शहरों में ज्यादा हो । नारनौल में मुसलमान। के कब्जे में अब एक भी मस्जिद नहीं है जबकि वहां पर 557 मस्जिदें होती थीं । वहां पर एक भी मस्जिद नमाज के लिए नहीं है । सब पर इल्लीगल कब्जा है । स्पीकर साहब, ऐसी और भी मस्जिदें हैं जिनपर सरकार का या दूसरे लोगों का कब्जा है । मैं मेहम में गया था वहां पर यही हालत है । एक बात आपके जरिए नोटिस

में लाना चाहता हूं । आजकल जो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वे गुडगावा के डी० सी० भी रहे हैं । उनके टाईम पर सोहना में नजलूमहक मस्जिद पर नाजायज कब्जा था लेकिन अब उसका कोर्ट की तरफ से भी फैसला हो गया है कि इसे मुसलमानों के हवाले कर दिया जाये लेकिन अभी तक उसका कब्जा नहीं मिला । सोहना मेवात एरिया में पड़ता है और वह मस्जिद एजुकेशन डिपार्टमैंट के कब्जे में है । सन् 1978 से ले कर आज 1986 हैं। गया लेकिन अभी तक उसका कब्जा नहीं मिला । कोर्ट के डिसीजन के बाद भी वह सरकार के कब्जे में है । इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जिन जमीनों पर या मस्जिदों पर नाजायज कब्जा कर रखा है उन्हें कौन सी तारीख तक खाली करवा देंगे? स्पीकर साहब मैं एक और बात अर्ज करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात शुरू करोगे तो टाईम खत्म हो जाएगा ।

चौधरी अजमत खां : नहीं जनाब । जहां तक कब्रिस्तान की बात का ताल्लुक है, कुछ दिनों पहले भिवानी शहर के एक आदमी का इन्तकाल होने पर हांसी दफनाने के लिये लाया गया । कुछ महीने पहले जब मैं अपने इलाके में गया हुआ था, जैसे तैयब हुसैन जी ने बताया, वहां पर भी घर के सामने ही मुर्दे को दबाया गया हालांकि वहां ' वक्फ बोर्ड की जमीन है । इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पर जमीन मौजूद है, चाहे वह

कब्रिस्तान के लिये है, चाहे मस्जिद की जमीन है, उनका कब्जा दूसरे लोगों ने किया हुआ है । ग्रेव यार्ड पर और मस्जिदों पर ऐसे कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, मेरे मोहतरिम दोस्त बड़े सैटीमैंट्स में आकर बात कर रहे हैं । मैं इनको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर मैं एक मुसलमान होता तो भी मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था जितनी मैं इस वक्त कर रहा हूं । इस बारे में तो मैं यही विश्वास दिलवा सकता हूं । यह बात ठीक है कि प्रौब्लम बढ़ रही है । स्टाफ हमारे पास लिमिटिड है । अगर हम स्टाफ बढायेंगे तो खर्चा बढ़ेगा । एरिया बहुत बड़ा है । हरेक जिले में हमारे पास केवल 4–4 या 5–5 आदमी हैं ।

चौधरी तैयब हुसैन : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने यह कहा है कि नसीम साहब ने जब से टेक–ओवर किया है, बहुत अच्छा काम चल रहा है । क्या वह उनको इस बात के लिये परसूएड करेंगे कि वह इसको होल–टाईम कर लें ।

कर्नल राव राम सिंह : मैं उनको परसूएड नहीं कर सकता कि वह होल टाईम यही एक काम को करें । आपको पता है वह आई० ए० एस० आफिसर हैं । आप इस बात को तो एप्रीशिएट करेंगे कि वह होल–टाईम डायरैक्टर आफ एग्रीकल्चर होते हुए भी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं । The proof of the

pudding is in the eating. स्पीकर साहब, 57 लाख रुपये के लास को वाईप–आउट करके अब उन्होंने 1 करोड़ 82 लाख रुपये एफ0 डी० में डाल दिया है । We are trying our best and I can say कि हमें बहुत ही बढ़िया आदमी नसीम अहमद और शेख अहमद जैसे, मिले हुएहैं । अगर हमें डिस्ट्रिक्ट्स में भी चौधरी तैयब हुसैन, शकरुल्ला और अजमत खां जी अच्छे– अच्छे आदमी दे दें तो वहां पर तमाम मसले हल हो जायेगे ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

15.00 बजे ।

नियम 45 के अधीन सदन' की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Setting up of a Government College for boys/girls in Ambala Cantt.

***1200. Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Government College for boys/girls in Ambala Cantt; if so, the time by which it is likely to materialise ?

Edueation Minister (Smt. Sharda Rani) : There is no such proposal and, therefore, the question of time does not arise.

Allotment of Plots by HUDA to weaker sections

***1208. Chaudhri Dharam Bir Gauba ;** Will the

Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that plots are being allotted by HUDA to economically weaker sections in the State; if so, the places where these have so far been allotted ; and

(b) whether there is any proposal under consideration to allot such plots in Gurgaon; if so, the time by which it is likely to materialise ?

उद्योग मन्त्री (श्री श्रीकिशन दास) :

(क) जी हां, ऐसे प्लाट भिवानी, रोहतक, पानीपत तथा पंचकूला में विज्ञापित किए गए हैं ।

(ख) जी हां, इसमें लगभग 6 मास का समय लगने की आशा है ।

Construction of school approach roads

***1216. Chaudhri Lila Krishan :** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state-

(a) whether there are any schools in the State which are not connected with approach roads at present ; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the time y which these schools are likely to be connected with such roads ?

Public Works Minister (Shri Phool Chand) : The time & labour involved in collecting the required information will not be commensurate with any possible benefits to he

obtained from it.

Mini Secretariat Jind

***1222. Shri Brij Mohan :** Will the Minister for Public Works (B & R) be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Diwan Khana building at Jind is in a dilapidated condition and not fit for habitation;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the offices located in the building as referred to in part (a) above, to the Mini Secretariat at Jind; and

(c) whether there is also any proposal under consideration of the Government to construct another storey of the Mini Secretariat Building at Jind; if so, the time by which it is likely to materialise ?

Minister of State for Revenue : (Shri Nirmal Singh)

(a) No, Sir.

(b). Question does not arise.

(c) No, Sir.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

नील गाय और राम गाय आदि द्वारा फसलें नष्ट होने संबंधी

श्री अध्यक्ष : मुझे श्री जगदीश नेहरा, एम० एल० ए० की ओर से नील गाय और राम गाय एटसैट्रा द्वारा कौप्स को डैमेज किये जाने के बारे में काल अटैंशन मोशन का नोटिस मिला है । मैं इसे मन्जूरकरता हूं । नेहरा साहब अपना नोटिस पढ़ दें । अगर मन्द्री जी इसका आज ही स्टेटमैंट देना चाहें तो दे दें ।

श्री जगदीश नेहरा : मैं इस महान सदन का ध्यान हरियाणा प्रान्त में नील गाय तथा रामगाय (गायें जो झुण्ड में इकट्ठी हो जाती है) आदि की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । जहां कहीं भी ये गायें हैं वहां पर वे किसानों की फसलों को नष्ट करती हैं जिसके कारण उन्हें भारी हानि हो रही है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जैसे कि–साहूवाला, छतरिया, कर्मगढ, पन्नीवाला तथा मोटा आदि जहां पर नील गाय तथा राम गाय आदि किसानों को भारी हानि पहुंचा रही हैं । सरकार द्वारा अपने खर्चे पर इन नील गायों तथा राम गायों को पकड़ कर एक स्थान पर रखा जाए । इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार कुछ प्रबन्ध जरूर करे ताकि हरियाणा के किसानों को उक्त समस्या से राहत मिल सके । यह एक अत्यावश्यक लोक महत्व का विषय है ।

वक्तव्य–

(1) कृषि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबधी

कृषि मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : हरियाणा के कुछ भागों में विशेषकर सिरसा, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, जीन्द, रोहतक तथा गुडगावा जिलों में फसलों को नुक्सान पहुंचाने में नील गायों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या से सरकार भली भान्ति परिचित है । राज्य में उनकी अनुमानित कुल संख्या 7000 है । नील गाय एक तेज दौड़ने वाला पशु है और इस प्रकार इसे पकड़ना कठिन है । इस पशु को पकड़ने के लिये सामान्य तौर पर ट्राक्यूलाईजर गन प्रयोग में लाई जाती है । कई उदाहरण हें कि ट्रांक्यूलाईजर गन के प्रयोग के कारण कुछ पशुओं की मौत हो गई थी । इस घटना से इन सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों में रोष पैदा हो गया क्योंकि इन पशुओं के साथ उनकी कुछ धार्मिक भावनाऐं जुड़ी हुई हैं । नील गायों को मारने के लिये वन्य प्राणी सुरक्षा अधि– नियम, 1972 की धारा 9(2) के अधीन शिकार करने के लाईसैन्स भी दिए जा सकते हैं लेकिन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा सरकार, अधिसूचना दिनांक 22 जून, 1973 द्वारा उनके शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

वन क्षेत्रों में जहां नील गाय एनकलोजरज में रखी जा सकती हैं, उनके चारों ओर बिजली,कांटेदार तार की चारदीवारी की व्यवस्था करने का सुझाव भी ठोस एवं व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि एक तो इस तरीके को अपनाने में काफी खर्चा होगा और इसके अतिरिक्त विशाल जंगल जिसे ऐसे संरक्षण के लिये प्रयोग में लाया जा सके, राज्य में विद्यमान नहीं है । सिरसा जिला

जिसके बारे माननीय सदस्य जी ने सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित किया है वहां अधिक वन क्षेत्र नहीं हैं,जहां इस प्रकार के एनकलोजरज की व्यवस्था बारे विचार किया जा सके ।

दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि इन पशुओं को दूसरे राज्यों! को स्थानान्तरण कर दिया जाये । वन्य प्राणी विभाग ने अनेक राज्यों से सम्पर्क स्थापित करके उनसे अनुरोध किया कि अपने चिड़ियाघरों आदि में रखने बारे अपनी–अपनी मांग भेजें । परन्तु कई राज्यों ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि उन्हें इन पशुओं की आवश्यकता नहीं है । यह भी भय है कि यदि इनको वाहनों द्वारा दूसरे क्षेके में स्थानान्तरित किया जाता है तो इन पशुओं में से कुछ पशुओं की मौत भी हो सकती है और इस प्रकार से इस तरीके का कुछ लाभ होता भी है तो वह भी सीमित माता में होगा ।

जहां तक राम गायों का सम्बन्ध है यह घरेलू गायें हैं जो मालिकों द्वारा समय–समय पर आवारा छोड़ दी गई थीं और समय व्यतीत होने के बाद वे जंगली पशु बन गई हैं । ऐसी गउओं के लिये वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, 1972 में सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । चूंकि हरियाणावासी इन गऊओं को आदर की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें किसी प्रकार की चोट पहुंचाने से रोकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है ।

नील गाय और राम गाय की समस्या से निपटने के लिये यद्यपि सरकार इच्छुक है तो भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कदम उठाना सम्भव नहीं हो सका है । राज्य सरकार भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून से भी परामर्श ले रही है कि इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई तरीका सुझाए, जिसमें कि शिकार शामिल न हो । जब भी कोई उचित उपाय सम्भव हो जाएगा तो राज्य सरकार उस को कार्यान्वित करने के लिये पग उठायेगी । यह एक सामाजिक समस्या है और अन्ततः इसके प्रभावी नियन्त्रण हेतू सारे समाज को कोई व्यवहारिक समाधान ढूढना होगा ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, इससे पहले कि वह सवाल का जवाब पूछें, मैं आपकी इजाजत से उसमें कुछ ऐड करता हूं । अध्यक्ष महोदय, एक तो यह समस्या बड़ी गम्भीर है जो पूरी स्टेट में आती है कि नील गाय और राम गाय फसलों को तबाह करती हें । बार–बार हाउस में इस बारे में सवाल उठता है । इसी प्रकार की एक समस्या राजनीति में भी है । राजनीति में भी नील गायें और राम गायें बहुत हैं । उनका जो सरगना है वह सिरसा जिला वालों ने ही हरियाणा असैम्बली में भेज रखा है और पूरे हरियाणा की राजनैतिक खेती को बरबाद कर रहा है । किसी ने कांटेदार खेतों में बाढ़ लगा रखी होती है, वह उनको भी नहीं छोड़ता है । उनको कूद कर जिस मर्जी फसल में चला जाता एं । सींगों से भी

राजनैतिक फसलों को तोड़ता है और पांवों से भी तोड़ता है । राजनीति में उसने कोई ऐसी बात छोड़ नहीं रखी है । इनके चौने में राम गायें भी हें । एक तो तायल साहब राम गाय हैं, एक बी० डी० गुप्ता राम गाय हैं और तीसरे मंगल सैन राम गाय हैं (हंसी) इनको घर वालों ने यानी हल्के वालों ने तो बाहर निकाल दिया है लेकिन फिर वे इसमें शामिल हो गये । इनका भी कुछ प्रबन्ध किया जाये । मैं मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि इनका भी क्या कुछ प्रबन्ध किया जायेगा ।

श्रीमती प्रसन्नों देवी : इनका प्रबन्ध तो लोग ही कर देंगे । (हंसी)

चौधरी लाल सिंह : अंध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बताया हे कि राम गाय और नील गाय दो अलग–अलग गाय हैं । स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है । ये सारी राम गाय हैं । यह महकमा मेरे पास काफी समय तक रहा है । मुझे पता है कि ये सौरी राम गाय हैं । दूहकी वजह से फसल कम नहीं होती बल्कि फसल चौगुनी हो जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की जरुरत नहीं है । इनके होने से फसल बढ़ी है, घटी नहीं है । ये फसल को नुक्सान पहुंचाती हैं, यह केवल वहम है ।

श्री अध्यक्ष : यह महकमा चौधरी लाल सिंह को दे दें तो ये फसल को चौगुनी करके दिखा देंगे (हंसी) ।

श्री जगदीश नेहरा : जैसा कि माननीय सदस्य चौधरी लाल सिंह ने कहा कि ये सारी राम गाय हैं, स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है । नील गाय और राम गाय अलग–अलग गाय हैं । माननीय मन्त्री महोदया ने समस्या का हल निकालने की बजाए यह समस्या मुझ पर छोड़ दी कि मैं कुछ सुझाव दूं । स्पीकर साहब, इस समस्या का हल निकालना तो मन्त्री जी का काम है । स्पीकर साहब, लोगों के पास दो– दो, चार–चार और दस–दस एकड़ जमीन है अगर उनके खेत में सौ गाय चली जाएं तो आप उनकी हालत समझ सकते हैं कि क्या होगी । वे लोग इन गायों का क्या प्रबन्ध कर सकते हैं । घर में एक–एक, दो–दो आदमी होते हैं वे कुछ कर नहीं सकते । अब गांव में सामाजिक बन्धन नहीं रहा जो सब मिलकर उनका इन्तजाम कर दें । सरकार के पास सरकारी मुलाजिम हैं । जहां तक राम गाय का सम्बन्ध है इनको इकट्ठा करके नीलाम किया जा सकता है और जहां तक नील गाय का सम्बन्ध है इनको इकट्ठा करके पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए । स्पीकर साहब, सरकार को ही इसका इन्तजाम करना चाहिए । सरकार की ओर से जो जवाब आया है वह सन्तोषजनक नहीं है ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, हमारे यहां बहुत लम्बे चौड़े वन तो हैं नहीं अगर उनको पकड़ने की कोशिश भी करें तो वे इतनी कमजोर दिल होती हें कि उसी वक्त मर जाती हैं । हमने देहरादून में जो संस्था है उसकी सलाह मांगी है कि क्या हो सकता है? स्पीकर साहब, उन गायों को पकड़ना मुश्किल है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मेरी रिक्वैस्ट है कि इ नके पास जो स्टाफ है और जो सिर्फ इसी काम के लिये हे वह क्या करता है, उसको ये इस काम में यूटिलाइज कर सकते हैं । यह कहना कि देहरादून से सुझाव मांगा है उन्होंने क्या सुझाव देना है । राम गाय को इकट्ठा करके नीलाम कर दें और ये गाय पकड़ी जा सकती हैं और नील गाय को इकट्ठा करके पहाड़ों की तरफ छोड़ा जा सकता है । स्पीकर साहब, दस बारह साल पहले चौधरी बंसी लाल ने इनके बारे में कार्यवाही की थी । स्पीकर साहब, मेरी अर्ज हे कि इस बारे में कैवल कागजी कार्यवाही न की जाए बल्कि समस्या का कोई ठोस हल निकाला जाए ।

(2) मुख्य मंत्री द्वारा नारनौल तहसील में पेयजल की भारी कमी सबंधी ।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, 27 नवम्बर, 1986 को चीफ मिनिस्टर साहब ने श्री निहाल सिंह एम ० एल ० ए ० के काल अटैन्शन 'मोशन नं ०1 पर आज स्टेटमैंट देने के लिये कहा था अब वे कृपया अपना स्टेटमैंट दे दें ।

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : There is no perennial canal system in Narnaul TehSil. Therefore the source of water in this Tehsil, both for rural and urban area, is ground water with wells/ tubewells. These are being provided mostly in and along the beds of seasonal storm water rivulets such as Krishnawati, Dohan etc. These rivulets originate from Rajasthan and act as source of recharging of

the ground water in the area. On account of scanty rainfall in the area as a whole for the last few years, there has been a substantial fall in the water table and consequent reduction in the yield of wells/tubewells. The position of water supply in the rural and urban area of Narnaul Tehsil is given as under :-

1. Rural Area

There are in all 220 villages in Narnaul Tehsil. Water Supply is being made available at present to 210 villages covered under 55 schemes. The work is in progress in another 4 villages. Electricity supply schedule and lowering of water table have affected the capacity of Public Health Department to ensure uninterrupted water supply. At present, the position of service to the various villages is as follows :-

(a) Number of villages where water is made available daily : 147

(b) Number of villages in which water supply is made available on alternate days : 56

(c) Number of villages where water supply is erratic being at the tail of large group schemes : 7

The level of maintenance in general is satisfactory and all the schemes are run in the best manner according to the available water source and electric supply. In 3 group schemes, boosting stations have been provided. In 7 group schemes, the work of providing boosting stations is in progress. The other schemes already in operation do not require boosting stations.

Keeping in view the limited electricity supply,

efforts are being made to provide generating sets or independent electric feeders in a phased manner. Work is in progress in 3 schemes for provididg independent electric feeder mains, covering 46 villages. A generating set is being provided shortly in one scheme covering 6 villages.

Public Health Department has already deputed a special drilling rig in Narnaul area which has already drilled 13 tubewells during the year 1986-87. Drilling of more tubewells is in progress. All efforts are being made to supply water for meeting the daily minimum requirements of the people.

2. Urban Area

(i) Narnaul Town :

The drinking water to the town is being supplied through 10 percolation wells/tubewells sunk by the side of Krishnawati River bed. Due to decreased yield of wells, discharge has been reduced. The total supply is of the order of about 5 lakh gallons per day which ensures 10 gallons per head per day.

Special measures have been taken to re-charge the existing. wells with canal water from Novalpur Distributory whenever J.L.N Canal is flowing. The work on another scheme based on J. L.N. Canal water costing Rs. 71 lakhs is in progress envisaging a supply of 2 lakh gallons per day. The first Phase which will ensure supply of 1 lakh gallons per day is expected to be commissioned by May, 1987.

(ii) Ateli Town :

The water supply for Ateli Town which was earlier based on 2 pcrcolation wells, has been discarded due to deterioration in the quality of water. During 1985-86, a new tubewell located at a distance of about 7 K.M. has been commissioned which is supplying about 15 gallons per head per day.

Government is fully alive to the situation and is taking necessary steps to ensure adequate and timely supply of drinking water.

श्री निहाल सिंह : स्पीकर सर, जैसा अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि रुरल एरियाज की वाटर सप्लाई स्कीम्ज कैनाल बेसड नहीं हैं । क्या सरकार का रुरल एरियाज में वाटर सप्लाई स्कीम्ज को कैनाल बेसड करने का कोई प्रोग्राम विचारा–धीन है? दूसरी बात मेरी यह है कि हमारा जो पानी का झगड़ा चल रहा है, इससे लोगों को काफी डिफीक्लटीज हो रही हैं । कग यह मामला इराडी कमिशन के सामने सरकार ने पेश किया है ताकि जहां लोगों को पानी की सप्लाई की कमी है, वहां पानी देने के लिये हमारा केस मजबूत हो सके? इससे अगली बात मैं मुख्य मन्त्री महोदय के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने, गांवों की पंचायतों ने अपनी वाटर सप्लाई स्कीम्ज चला रखी हैं । पहले कूओं में पानी भर लेते हैं फिर मोटर लगाकर टंकी में पानी भरते हैं, उसके बाद वाटर सप्लाई का कार्य चालू होता है । क्या ऐसी स्कीमों को सरकार टेक ओवर करने का विचार रखती हे क्योंकि पंचायतें इनके

बिजली के बिलों को बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या ड्यूल सिस्टम को ग्रिड में लाने का प्रोग्राम हे?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, रावी व्यास का पानी आने के बाद जहां जहां रावी व्यास के पानी से लोगों को पीने का पानी दे सकेंगे हम देंगे । जहां तक इराडी कमिशन के सामने सब बातें रखने का सवाल है, इनके महेन्द्रगढ़ जिले की पानी की सारी तक्लीफें इराडी कमिशन के सामने रख दी गयी हैं । जहां तक सवाल है इस बात का कि लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम्ज अपने आप चालू कर रखी हैं, उनको सरकार टेक ओवर करे, इस बारे मैं यह बताना चाहता हूं कि इनकी नारनौल तहसील में कुल 220 गांवों में से 210 में आलरेडी वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, चार में काम चालू है और 6 गांवों में हम और कर देंगे । फिर प्राइवेट वाटर स्कीम्ज का सवाल ही नहीं रहेगा । जब हम सब कुछ खुद ही कर रहे हैं तो पंचायत है बीच में कहां से आ गयीं?

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, न्यूज पेपर में एक न्यूज आई है जिसका हैडिंग लिखा गया है 'मर्डर आफ डेमोक्रेसी' । लोक दल के भाइयों ने 28 तारीख को हरियाणा भवन में एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि तोशाम में जो बाई–इलैक्शन हुए हैं, वहां डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है और इस बात को वे लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस विधानसभा के आजतक हुए 11 सैशनों में से 10 सैशन अटैन्ड ही नहीं किये हैं । ऐसे लोग डेमोक्सोई के मर्डर की बात करते हैं । स्पीकर साहव,

डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम होता है । पार्टी सिस्टम में यह है कि पार्टी कंटैस्ट करे

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, जीरो आवर समाप्त हो चुका है । आप कृपया बैठिए ।

श्री जगदीश नेहरा : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस मामले को हम कल ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एज पर रूज इस स्टेज पर हम ऐसा नहीं कर सकते । आप कृपया बैठिए ।

सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब टेबल आफ दी हाउस पर पेपर ले करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir. I beg to lay on the Table-

1 . The Transport Department Notification No. G.S.R. 41/C. A. 4/39/S. 24 &41/86, dated the 23rd May, 1986, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana First Amendment) Rules, 1986, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

2. The Transport Department Notification No. G.S.R. 43/C.A. 4/39/S. 24 & 41/86, dated the 30th May, 1986, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana Second Amendment) Rules, 1986, as required under section 133(3) of

the Motor Vehicles Act, 1939.

3. The Transport Department Notification No. G.S.R. 54/C.A. 4/39/S. 41/ 86, dated the 16th July, 1986, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana Third Amendment) Rules, 1986, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

4. The General Administration Notification No. G. S . R . 63/H.A. 9/79/S. 8/86, dated the 5th September, 1986, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) First Amendment Rules, 1986, as required under section 9 (3) of Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

5. The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1984-85 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

6. The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1984-85 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Aricle 151 of the Constitution of India.

7. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1984-85 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

सरकारी संकल्प–

संविधान (5 'वां संशोधन) विधेयक, 1986 की रंटिफिकेशन सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब आफिशियल रेजोल्यूशन पेश करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Bill, 1986, as passed by the two Houses of Parliament.

अध्यक्ष महोदय, यह जो संविधान के 54वें अमैंडमैंट का बिल हाउस के सामने रैटीफिकेशन के लिये आया है, इसको लोक सभा व राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है । इसको संविधान की धारा के नीचे हिन्दुस्तान की कम से कम 50 प्रतिशत लैजिस्लेटिव असैम्बलीज ने रैटीफाई करना है और यह रिक्वायरमैंट पूरी करने के लिये हरियाणा असैम्बली के सामने इसको मूव किया गया है । इसका जो प्रोवीजन' है वह बडा ही सिम्पल और लाडेबल है । अब से पहले सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्टस के जजिज की तनख्वाहें कम थीं । सरकारी अधिकरियों और कर्मचारियों के वेतनों में महंगाई को देखते हुए वक्तन–फवक्तन रिवीजन होती रहती थी और जजिज की पे बहुत सालों से नहीं बढ़ी थीं । इसलिये उनकी इंडीपैन्डैन्स और स्टेटस को मेनटेन करने के लिये पूरे देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि जजिज को अच्छी तनख्वाहें मिलनी चाहिएं ताकि वे ईमानदारी व इज्जत से

गुजारा कर सकें और गरीब व अमीर के बीच में इन्साफ कर सकें । इस अमैंडमैंट के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन 5 हजार से 10 हजार और जज का वेतन साढ़े चार हजार से 9 हजार कर दिया है । इसी तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन साढ़े चार हजार से 9 हजार और जजों का साढ़े तीन हजार से 8 हजार कर दिया गया है । इन शब्दों के साथ मैं हाउस से इस बात की उम्मीद करता हूं कि हाउस इस अमैंडमैंट को रैटीफाई करेगा ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Bill, 1986, as passed by the two Houses of Parliament.

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का यह एक बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने जजों की तनखाह बढ़ाई है। वैसे भी इम्पार्शियल जुडिशियरी के लिए यह जरुरी था कि उनकी अच्छी तनखाह हो । महंगाई के आज कल के जमाने में मीन्ज कम हो गए थे तो इसके लिए हम केन्द्रीय सरकार को, पार्लियामैंट को बधाई देते हैं । इस सदन के लिये भी यह अच्छी बात है कि वह 54वें अमैंडमैंट को रैटीफाई करे । स्पीकर साहब, सारा कांस्टीच्यूशन तो मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी एक बात के बारे मुझे जरूर शंका है । उसमें शायद मैं गलत भी

हो सकता हूं । जो पांच हजार से बढ़ा कर तनखाह दस हजार रुपए की गई है यह बात बहुत अच्छी है लेकिन जहां तक मेरे याद है कांस्टीच्यूशन में यह भी है कि हिन्दुस्तान के फर्स्ट सिटिजन की हाईएस्ट पे होगी । फर्स्ट सिटिजन प्रैजीडैंट आफ इंडिया है, उनकी तनखाह भी दस हजार रुपए है ।

चौधरी तैयब हुसैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । स्पीकर साहब, सरकार ने प्रैजीडैन्ट की तनखाह को और बढ़ा दिया है । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनखाह उनसे कम है ।

श्री जगदीश नेहरा सर : इनका प्वायंट आफ आर्डर ठीक है कि पे कमीशन ने बढ़ाई है लेकिन सरकार ने तो नहीं बढ़ाई । पे–कमीशन की रिकमैंडेशन्ज तो कई कई साल बाद लागू होती हैं और कई कमीशन ऐसे भी आए जिनकी सिफारिश नहीं मानी गई । I am talking of the Government as this amendment Bill is being passed as such. Sir, I think that in the Constitution, it is written that the first citizen of India i e the President of India, will get the highest pay. If the Chief Justic of the Supreme Court gets pay equivloent to that of the Presideent of India, then, I think the President will not be called the arst citizen of India. This is my doubt.

श्री लछमन सिंह (कालका) : स्पीकर साहब, जजों की तनखाहें बढ़ाना एक बहुत अच्छा कदम है । मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि स्टेट के अन्दर भी जुडिशियरी है और

उनकी तनखाहें बढ़ाने के बारे में भी स्टेट गवर्नमैंट को जरूर विचार करना चाहिए । एग्जैक्टिव के स्केल्ज तो रिवाइज होते रहते हैं इसलिये मैं यह सुझाव द्गा कि जुडिशियरी के बारे में भी विचार करें और उनके ग्रेड रिवाइज करें । इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि इसको पास कर दिया जाए क्योंकि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है ।

श्री भले राम (बड़ौदा अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, जुडिशियरी इंडीपैडैन्ट होती है और. ईमानदारी से अपना कार्य करती है । यह बहुत अच्छी बात है कि उनकी तनखाह बढ़ाई गई है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह बहुत समय पहले बढ़ाई जानी चाहिए थी । क्योंकि ये लोग बोल नही सकते बाकी एम्पलाइज तो अपनी एजीटेशन कर लेते हैं इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर इससे भी और ज्यादा बढ़ा दे' तो और अच्छी बात होगी । हमारी स्टेट में जो जुडिशियरी है उसकी तनखाह भी बढ़नी चाहिए । स्पीकर साहब, एक बात का इससे लिंक तो नहीं बनता है लेकिन मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हू कि हरियाणा हाई कोर्ट में जितने जज लगाए जाते हैं यह ठीक है कि उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरिएंस वगैरह होता है लेकिन अगर उनमें से एक आध हरिजन जज भी लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा । कई लोगों का तजरबा कोर्ट का नहीं होता है लेकिन ट्रिब्यूनल वगैरह का होता है और वे क्वालिफिकेशन भी पूरी रखते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे हरिजन जज को लगा कर कम

से कम ऐसी प्रथा चल पड़े तो ठीक रहेगा । जो लोग क्वालिफाइड हों और इन जजों के पद के मुताबिक तजरबा रखते हों उन हरिजन लोगों को जरूर कंसिडर करना चाहिए । इन शब्दों के साथ यह जो जजों की तनखाह बढ़ाई गई है, मैं इसका समर्थन करता हू ।

चौधरी तैयब हुसैन (ताउडू) : स्पीकर साहब, मैं इस रैजोल्यूशन की ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह काफी बोल्ड कदम है जो काफी पहले आना चाहिए था । बहरहाल जब कोई अच्छी बात हो जाए तो वह सही' है । मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने जैसे कहा कि जो हमारी स्टेट की जुडिशियरी है उसको भी अच्छी तनखाह दी जाएरू । मैं भी यह समझता हूं कि अगर उनको अच्छी तनखाह दी जाएगी तो वे ज्यादा काम कर सकेंगे और ज्यादा सटिसफाइड रहेंगे । इसलिये इस तरफ भी तवज्जह देनी चाहिए । कम तनखाह देने वाला जो सिलसिला शुरू हुआ यह कम से कम मेरी राय में अच्छी बात नही है । जहां तक वजीरों की बात है, 1947 से पहले जब ज्वायंट पं जाब था तो वजीर की तनखाह पांच हजार रुपए हुआ करती थी । बहरहाल यह पार्टी के रैजोल्यूशन्न से या और वजह से घट गई । वैसे भी जुडिशियरी को और मिडल इंकम ग्रुप को इनफलेशन से काफी फर्क पड़ता है । आप देंखे कि आज रुपए की कीमत 13– 14 पैसे रह गई है । यह अच्छा कदम उठाया गया है और मैं इसकी ताइद करता हूं ।

चौधरी रोशन लाल आर्य (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारी लोक सभा ने यद् जो कदम उठाया है यह बहुत उचित है । मैं अपने प्रदेश की जुडिशियरी के बारे चन्द बात जो मेरे नोटिस में आई हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहता 'हूं । पहली बात यह है कि इनके वेतन बढ़ाने के साथ साथ इनकी और भी कई दिक्कते हैं जो उनसे या उनके प्रतिनिधियों से पूछी जानी चाहिएं । जैसे उनकी प्रोमोशन के बारे मे बहुत सी समस्याएं है । यह भी बहुत बुरा लगता है कि एक जज स्कूटर पर अपने कोर्ट में जाए । रास्ते में उससे कोई टक्कर मार सकता है या आम आदमी समझ कर उससे मिस बीहेव कर सकता है । इसलिये डिस्ट्रिक्ट लैवल पर गाड़ियों का कोई पूल हो जो उनको घर से कोर्ट तक पहुंचाए और कोर्ट से घर तक पहुंचाए । जजों की जिम्मेदारी बहुत होती है इसलिये उनकी सिक्योरिटी का भी विशेष प्रबन्ध होना चाहिए । मेरे एक घटना याद है कि जमना नगर से एक जज सहारनपुर की तरफ बस में जा रहा था । उसका स्वास्थ्य ऐसा था कि बस के कंडक्टर ने उसे जज नहीं माना । कंडक्टर के साथ हाथा पाई हुई और उस जब के साथ मिस बीहेव किया गया । इस किस्म की बात इसलिये हुई कि उस जज को सिक्योरिटी नहीं मिली हुई थी । इसलिये जब कभी भी कोई जज यात्रा करे तो उसकी सुरक्षा का पूरा इन्तजाम हो । जैसे इलाका मजिस्ट्रेट होता है या चीफ थडिशियल 'मैजिस्ट्रेट होता है ऐसे तमाम जजों को कम से कम टैलीफोन तो दे दिया जाए, अब उनको आस पास

टैलीफोन करने के लिये जाना पड़ता है । ये सारी बातें हमारे लिए विचारणीय हैं । हम इन समस्याओं को जितना भी हल कर सकते हैं वह प्रूदेश के भी हित में होगा और राष्ट्र के भी हित में होगा । धन्यवाद ।

वित्त मन्त्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : स्पीकर साहब, यहां पर स्टेट की जुडि– शियरी की तनखाह बढ़ाने की बात कही गई है । स्टेट के जो दूसरे एम्पलाइज है चाहे वे क्लास वन हैं या और हैं, उनके साथ ही जुडिशियरी की भी तनखाहें तथा अन्य फैसिलिटीज बढ़ती घटती रहती हैं । हमारे यहां पीछे 1979 में पे– रिवीजन हुई थी उसके बाद सभी को उस रिवीजन के मुताबिक तनखाह दी जा रही है । जहां कहीं भी जो सहूलियत 'जजों के लिए हो सकती है, वह दी गए है । रह है जैसे प्रोमोशन की बात कही गई । इनके लिये हमारी स्टेट में प्रोमोशन के काफी एवेन्यूज हैं । एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जजों की, उनकी उमीद से दो तीन साल पहले ही प्रोमोशन हुई है । इस तरह इस बारे में सरकार की तरफ से काफी कोशिश की गई है । जो सिक्योरिटी वगैरह देने और कौमन पूल से गाड़ी देने की बात है या टैलीफोन देने की बात है, हमने एडीशनल सैशन जज के लैवल तक तो टैलीफोन दे दिया है । बाकी काम के लिए जिसकी मांग आती है उसको जरूर देखा जाता है । तनखाह के मामले में भी और दूसरी फैसिलिटीज के लिये भी स्टेट कींजुडिशियरी को पूरी

इज्जत दी जाती है । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा की इस प्रस्ताव को पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Bill, 1986, as passed by the two Houses of Parliament.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिल्ज

(1) दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब दि पजांब ऐग्रीकल्वरल प्रोड्यूस मार्किटंस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

कृषि मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि पंजाब कृषि उपज मन्त्री (हरियाणा संशोधन) : विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

That The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : स्पीकर साहब इस बिल के द्वारा जो अमैंडमैंट लाई जा रही है वह मार्किटिंग बोर्ड में जो सीट खाली हो 'जाती है उसको भरने के बारे में है । इसमें यह कहा गया है कि सब–सैकशन(7) के बाद सब– सैक्शन (7 ए) को ऐड किया जाएगा । पहले यह नहीं था । जो जगह खाली हो जाती है आइदर बाई डैथ, रैजिगनेशन डिसक्वालिफिकेशन और इनकैपेसिटी, टू एक्ट एज ए मैम्बर, उसके लिये इसमें इनसर्ट किया गया है–

"Whenever any member of the Board dies, resigns, ceases to reside within the State of Haryana or otherwise becomes incapable of acting as a member of the Board, the State Government may appoint another member in his place... ...."

क्या मन्त्री जी इसका जवाब देंगी कि जो यह लिखा है या जो आलरेडी था, वह होना चाहिए । मैं मन्त्री जी' से अनुरोध करूंगा कि डिसक्वालिफिकेशन वाली बात तो इसमें अवश्य आनी चाहिए । ''हरियाणा से जो आदमी अवे है या हरियाणा से जो चला ही गया है उसका बोर्ड का मैम्बर होने का सवाल ही नहीं है । जो मैम्बर के लिय क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है, उस के बारे में मैं यह अर्ज' करना चाहूंगा कि जो बोर्ड का मैम्बर बनाया जाए उसके बारे में यह देखा जाए कि यदि वह बोर्ड का

लाइसैन्सी है तो उस कैटेगरी में वह बोर्ड का मैम्बर बनाया जा सकता है लेकिन ऐसे भी इन्स्टांस हुए हैं किं लाईसैन्सी की कैटेगरी के अलावा भी लोग बोर्ड के मैम्बर बन जाते हैं । उसका असर यह होता है कि जहां मार्किटिंग बोर्ड कोई काम करता है वहां वह दिक्कत पेश करता है और हर काम में इन्टरफियरैन्स होती है । इसलिये मैं मण्डी जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें डिसक्यालिफिकेशन का वर्ड अवश्य ऐड होना चाहिए लाईसैन्सी उस कैटेगरी में होना चाहिए । यदि उस कैटेगरी में न हो तो यह होना चाहिए कि without that category he should not be nominated as a member of the Board, otherwise there will be difficulty) लाइसैन्सी जो गलत– काम करते हैं उनको भी यह चौक करता है, 'इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करुंगा कि इसमें डिस–क्वालिफिकेशन का वर्ड अवश्य ऐड किया जाना चाहिए ।

कृषि मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : स्पीकर साहब, यहै अमैंडमैंट तो बोर्ड में जो जगह खाली होगी, उसको भरने के लिये की जा रही है । यदि किसी मैम्बर की डैथ हो गई या कोई (डस–क्वालीफाई हो गया और, जगह खाली हो गई, उस जगह की पूर्ति के लिये यह अमैंडमैंट लाई गई है । बाकी तो नेहरा साहब खुद वकील हैं । ये सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं । मैं वकील नही हूं ।

Shri Jagdish Nehra : She is talking about the rest of the things.

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तो कह दिया है कि मैं वकील नहीं हूं, नेहरा साहब वकील हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं ।

Shri Jagdish Nehra : Sir, either she should refuse that she does not know about the amendment or she should explain the amendment.

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, इस बिल में कोई खास बात नहीं है । जो आदमी हरियाणा से बाहर चला जाएगा या किसी मैम्बर की डैथ हो जाएगी, उस की खाली जगह को भरने के लिए यह अमैंडमैंट लाई गई है । इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फामूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

कृषि मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगूलेशन ओफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब एक मन्त्री दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगूलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Finance Minister : (Chaudhri Katar Singh Chhokkar) :. Sir, 1 to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban

(Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Development and Regulation of Urban (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

That the Haryana Development and Regulation of Urban (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

सब क्लाज (2) औफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सब क्लाज (2) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 2

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस बिलज जो अमैंडमैंट लाई जा रही है, वह एक अच्छा कदम है लेकिन इसमें मुझे जो नजर आ रहा है उसके बारे में मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं । इन्होंने 8 को बदलने के लिए इस बिल में प्रपोजल रखी है ये सब सैकशन्ज 2 सैकशन्ज डिलीट करके सब सैकशन्ज 2 से 5 तक इन्सर्ट करना चाहते हैं । इसमे, का मतलब यह है कि जिन कालोनाइजर्ज का सरकार के साथ कुछ टर्म्ज एण्ड कन्डीशन पर एग्रीमैंट था उसको कैंसिल करके पावर डायरैक्टर में वैस्ट हो जायेंगे जो डायरेक्टर है वह प्लाट होल्डर्ज का इन्ट्रैस्ट वाच करेगा । लेकिन यह है कि डायरैक्टर के पास स्टाफ कम है । उससे वह जो अर्बन एरिया हो रहे हैं उनमें पूरी तरह से कार्यवाही नहीं कर पायेगा । जब यह संभव तो फिर यह क्यों किया जा रहा है? यदि ऐसा किया ही जा रहा है तो इस में मेरा सुझाव है कि जो कालोनाइजर्ज हैं जो ये काम करते हैं उनके साथ कर ले । यदि एक कालोनाइजर से उसका काम लिया जाता है तो वह काम खुद न करके दूसरे कालोनाइजर से करवा ले । यह बात ठीक है कि दिल्ली के बदले

हरियाणा की जमीन कौड़ियों के भाव पर बिकी है और ये कालोनाइजर्ज करोड कमा रहे हैं जबकि इसके विपरीत वे प्लाट होल्डर्ज को कोई सुविधा नहीं देंगे सरकार का इस बारे में यह विचार है कि ऐसे लोग करोड़ों रुपये न कमाये । यदि सरकार सारे काम अपने हाथ में ले लेगी तो क्या वे पूरा कर पायेगी? इस हालत मैं यह कर लिया जाये कि जो कालोनाइजर्ज दूसरे कालोनाइजर्ज की अपेक्षा बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं उनसे काम ले लिया जाये और जौ कम मुनाफा कमा रहे हैं उनसे वह काम करा लिया जाये । (विघ्न) स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब है कि यदि किसी कालोनाइजर ने किसी एरिया में एक एकड़ पर 20 लाख रुपया कमाया है और दूसरे ने 10 लाख रुपये कमाया है तो जिस ने कम रुपया कमाया है उससे वह काम करा लिया जाये । सरकार सिर्फ इन पर यह ध्यान रखे कि ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं । यदि सारे काम सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो फिर सरकार इन कामों को कैसे पूरा कर पायेगी? हुड्डा के काम को भी आप देख लें और दूसरे कामों को भी, अर्बन डिवैल्पमैंट के हो रहे हैं आप देख लें यह संभव नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार सारे काम अपने हाथ में न ले बल्कि सिर्फ इनको वाच करे ।

स्पीकर साहब, सब–क्लाज (2) में लिखा है –

"(2) After cancellation of the licence, the Director may himself carry out or cause to be carried out, the development works in the colony and recover such charges as

the Director may have to incur on the said development works from the colonizer and the plot holders in the manner prescribed as arrears of land revenue".

इसमें यह होना चाहिए कि स्वयं डिवैल्पमैंट करने की बजाये जो दूसरे कालोनाइजर्ज हैं उनके साथ डीलिंग की जायेगी । यह बात इसमें जोड़ी जाये ।

Now, I am referring to sub-clause (3) of clause 2, which reads as under :—

"(3) The liability of the colonizer for payment of such charges shall not exceed the amount the colonizer has actually recovered from the plot holders less the amount actually spent on such development works, and that of the plot holders shall not exceed the amount which they would have to pay to the colonizer towards the expenses of the said development works under the terms of the agreement of sale or transfer entered into between them".

यह क्लाज ठीक है ।

स्पीकर साहब, आगे जो सब–क्लाज (4) है,

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act, after the colony has been fully developed under sub-section (2), the Director may, with a view to enabling the colonizer, to transfer the possession of and the title to the land to the plot-holders..

सर, इसकी जगह अगर निम्नलिखित क्लाज रख दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा :–

"Notwithstanding any thing contained in this Act, after the colony has been fully developed under sub-section (2), the Director may, with a view to enabling the colonizer, to transfer the possession of land the title to the land to other colonizer with whom the Govt. has executed an agreement"

इसके बाद सब–क्लाज (5) कहती है –

"(5) After meeting the expenses on development works under sub-section (2), the balance amount shall be payable to the colonizer."

सर, इसकी जगह यह होना चाहिए –

"After meeting the expenses on development works under sub-section (2), the balance amount shall be payable not to the colonizer but to the plot-holders".

कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुनाफा होगा वह प्लाट होल्डर्ज को जाना चाहिए न कि कौलोनाइजर को जाना चाहिए ।

उद्योग मन्त्री (श्री श्रीकिशन दास) : स्पीकर साहब, यह जो अमैंडमैंट लाई गई है यह लोगों के हित में ही है । कुछ कौलोनाइजर्ज लोगों से कम भाव पर जमीन खरीद कर उससे करोड़ों रुपये कमा रहे थे । इसके बदले ये कौलोनाइजर्ज लोगों

को कोई सुविधा भी नहीं दे रहे थे । हुडा वाले तो 250 रुपये प्रति गज के आसपास जमीन लोगों को दे रहे हें जबकि ये कौलोनाइजर्ज कम भाव पर जमीन खरीद कर हुड्डा की अपेक्षा दुगने रेट पर यानी 400– 450 रुपये प्रति गज के भाव पर जमीन दे रहे हैं । मौजूदा जो ऐक्ट था उसमें बगैर यह तरमीम लाये हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे । सरकार ने यह तरमीम इसीलिए की है कि लोगों के लिए डिवैल्पमैंट के काम अच्छी प्रकार से किये जा सकें ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, जो ये बात कह रहे हैं यही मैंने कहा है । जो मैंने अभी बताया है उसका ये क्लाज बाई क्लाज जवाब दे दें ।

श्री श्रीकिशन दास : जो यह तरमीम की गई है यह लोगों के हित के लिए ही है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैंने जो कहा है उसका मन्त्री जी की तरफ से ठीक जवाब नहीं आ रहा । ये या तो ये कहें कि जो मैंने सुझाव दिए हैं वे गलत हैं या ये उन पर फिर अमल करें । यही मैंने कहा है कि जो प्लाट होल्डर्ज हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए । मैंने यहां पर सब–क्लाजिज वाइज अपने विचार रखे हैं । Sir, this is a very nice amendment but I will request through you sir, that the Hon'ble Minister should agree with my view point too .

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, पुराने ऐक्ट में जो कमी थी उसका इस अमैंडमैंट के द्वारा दूर किया जा रहा है । अब इस अमैंडमैंट के द्वारा प्लाट होल्डर्ज के लिए ठीक प्रकार से काम हो सकेगा ।

16.00 बजे ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इन्होंने कहा हे कि जो तरमीम है यह सही है क्योंकि इसे ये प्लाट होल्डर्ज के इंटैरस्ट में ला रहे हैं । मैंने भी यही कहा है कि सरकार ने बिल्कुल सही किया है और प्लाट हलेडर्ज के इंटैरस्ट में है लेकिन मेरी अर्ज यह है कि इस कानून के क्लाज 2 की सब–क्लाज (5) जो वेलैन्स अमांउट होगा वह कालोनाइजर्ज को जाएगा जबकि could go to the plot holders. The Government is not watching interests of the plot holders. It is watching the interests of colonizers. The Govt. should delete it.

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब का तो यह कहना है कि वे जो कुछ कर रहे हैं लाट होल्डर्ज के इंट्रैस्ट में कर रहे हैं ।

प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लाज (1) औफ क्लोज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सब–क्लाज (1) औफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

उद्योग मन्त्री (श्री श्रीकिशन दास) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (वर्ड अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, मैं मोशन मूव कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I move-.—

That the Haryana General Sales Tax(Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री जगदीश नेहरा : यदि आप इजाजत दें तो मैं बोल लेता. कूं लेकिन चूंकि यें पहले ही इरीटेट हो रहे हैं इसलिए बोलने को तबीयत भी नहीं करती ।

श्री अध्यक्ष : इस बार आपकी बात का जवाब सुरजेवाला साहब दे रहे है

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : स्पीकर सर, इस बिल को सरकार इसलिए लाई है ताकि जो माल जौब वर्क केलिए बाहर जाएगा उस पर डबल टैक्स न लगे । इसमें इन्होंने कहा है कि डैक्लेरेशन दे दी जाए और सामान जौब वर्क के लिए बाहर चला जाए । फिर सामान आए या न आए इसकी चौकिंग के लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है । मेरी कई व्यापारियों से बात हुई है और मुझे पता लगा है कि कई बार सामान वापस नहीं आता । तो मेरा सुझाव है कि

Proviso should be amended as under—

"Provided further that tax shall be leviable under this section where the goods are taken outside the State for job work or processing by a dealer and such goods after job work or processing are brought back by the dealer in the State, then the tax will be levied subject to the dealer furnishing a declaration in such form and manner as may be prescribed".

मेरा मतलब यह है कि जब सामान जौब वर्क के लिए बाहर जाए उस समय उस पर टैक्स लगना चाहिए । यहां यह कहा गया है कि डीलर डैक्लेरेशन फार्म भरे और सामान जौब वर्क के लिंए बाहर चला जाए । जब वह वापस आए तब उस पर टैक्स लगना चाहिए । यहां प्रोवाइजो कि पहली लाईन में जो 'नो' लिखा है it should be deleted so that when the things are taken outside the State for job work or processing for first time, the tax should be leviable. The difficulty is that the things may come or may not come. There are so many instances where the things have not come. I would suggest to the Govt. that this 'no' should be deleted and the tax should be levied.

उद्योग मन्त्री (श्री श्रीकिशन दास) : स्पीकर साहब, यही डिफिकल्टी पहले थी । यदि हम पहले टैक्स ले लेंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा । मिसाल के तौर पर आप ट्रैक्टर के पुर्जो को ले लीजिए । मान लो कोई पुर्जा रिपेयर के लिए बाहर जाता है और उसपर हम टैक्स लगा देते हैं । जब वह रिपेयर हो कर वापस आएगा और ट्रैक्टर में फिट होगा तो सालम ट्रैक्टर पर

टैक्स लग जाता है । इस 'तरह से डबल टैक्सेशन हो जाता है । इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए यह बिल लाया गया सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, वैसे तो नेहरा साहब मेरे बराबर ही इस बारे में इग्नोरैन्ट हैं कि कौन सी आईटम पर टैक्स लगता है और कौन सी पर नहीं

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है । मैं भी सोच रहा था कि जाट सेल्ज टैक्स की बात करने लग रहे हैं लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि नेहरा साहब तो सेल्ज टैक्स के ऊपर बड़ी तैयारी करके आये हैं ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, फिर भी – फैक्ट यह है कि न तो मैं बिजनैस करता हूं और न ही नेहरा साहब बिजनैस करते हैं । ये तो अंग्रेजी पढ कर बात कर रहे हैं। फिर भी मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि सैक्शन 9 में यह प्रोवीजन किया गया है कि जो गुडज जौब वर्क के लिए या प्रोसैसिंग के लिये स्टेट बैरीयर्ज के बाहर जाएंगी उन पर टैक्स नहीं लगेगा ताकि किसी आईटम पर डबल टैक्सेशन न हो जाए । लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वह यह है कि इस तरह से कई चीजें बाहर चली जाएंगी और वापस नहीं आएंगी तथा टैक्स की चोरी हो जाएगी । स्पीकर साहब, मैं औनरेबल मैम्बर को बताना चाहता हूं कि जो चीजें बाहर जाएंगी उनका रिकार्ड रखा जाएगा कि कौन सी चीज रिपेयर के लिए, जौब वर्क के लिए या प्रोसैसिंग

के लिए गई । अगर वे वापस नहीं आएंगी तो डीलर को उन पर टैक्स देना पड़ेगा । कोई ऐक्ट इतना डिफैक्टिव नहीं होता कि लोग ऐसे ही टैक्स खा जाएं । इन सारी बातों का प्रावधान ऐक्ट में पहले ही मौजूद है ।

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, यह प्रोवीजन तो उन पुर्जो के लिए है जो. ठीक होने के लिए बाहर जाते हैं । इसमें चने और गेहूं आदि का कोई कंसर्न नहीं है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मान लो कोई फलोर मिल । लाख टन गेहूं खरीद कर बाहर. भेजती है और मद्रास में उसका आटा बना कर बेच देती है तो गेहूं कैसे वापस हमारी स्टेट में आएगा?

श्री श्रीकिशन दास : ऐसी बात नहीं है । यह प्रोवीजन तो केवल पुर्जो के लिए है ।

श्री अध्यक्ष नेहरा : साहब, आपका शक गलत है ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो आईटम्ज जौब वर्क या प्रोसैसिंग के लिए बाहर जाती हैं और वापस आती हैं उनको कम्पेयर किया जाता है?

श्री श्रीकिशन दास : कानून में इस बात का प्रावधान है कि ऐसी चीजें तीन महीने के बाद वापस लानी चाहिए । अगर कोई नहीं लाता तो उसे टैक्स देना पडता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हूआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–'

कि क्लाज 3 बिलको पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट ' बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है– कि टाईटल बिल का टाईटल हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, beg **to** move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ :–

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(4) दि हरियाणा कोअप्रेटिव सोसाइटीज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार कोआप्रेशन दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 1986 कंसिडर करेने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटिज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : स्पीकर साहब, सरकार इस अमैंडमैंट बिल के द्वारा प्रशासकों की अवधि दो साल की बजाय तीन साल करने जा रही है परन्तु मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस अवधि को तीन साल की बजाय पांच सारन कर दिया जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा । तीन साल

तो किसी भी खाते में नहीं आते हैं । सभी जगहों पर चाहे विधान सभा है या लोक सभा है पांच साल की अवधि रखी हुई है इसलिये इनकी भी पांच साल की अवधि रखी जाये । Sir, I would request the Hon'ble Minister that instead of three years, five years should be substituted यह अवधि पांच साल क्यों की जाये, इसका कारण भी मैं बताना चाहूंगा । अगर किसी कार्य को समूथली रन किया जाये तो दो–तीन साल में उसका रिजल्ट नही आता । अगर कोआप्रेटिव सिस्टम को ठीक चलाना है तो उसके लिए समय चाहिए, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो । यह समझ कर समय कम रखना कि व्यूरोक्रेटस काम नहीं कर सकेंगे और पोलिटिशियन ही काम कर सकते' है ठीक नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि वे लायक नहीं हैं । वे काफी लायक हैं और अधिक काम कर सकते हैं । I don't doubt their integrity. They are more educated and know much more than the politicians about each and every thing. अगर सरकार यह समझती है कि तीन साल की बजाय पांच साल करने सें ठीक नहीं रहेगा तो फिर इस समय को तीन साल की बजाय एक साल क्यों नहीं करती? I would again request the Hon'ble Ccoperation Minister that instead of three years five years, should be inserted . I had also raised this matter in the party meeting कि इस बात को मान लेना चाहिए । इस बिल के स्टेटमैंट औफ औब्जैक्टस एन्ड रीजन्ज में कह रहे हैं कि गरीब आदमी को बिना इममूवएबलप्रौपर्टी प्लैज किये ही लोन मिल सकेगा । पहले बिना प्रोपर्टी प्लैज के कोई लोन नहीं मिल सकता था लेकिन इस अमैंडमैंट के आने से

गरीब आदमी को भी लोन मिल सकेगा । इस बात के लिए मैं सरकार की तारीफ करता हूं । गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और करना भी चाहती है । सर्कार जो यह अमैंडमैंट लायी है इससे लैण्डलैसं लोगों को लौग टर्म लोन बिना कोई चीज प्लैज किये डेरी, कैटल, ब्रीडिंगउ पोल्टरीं फिशरीज पिगरी, बी–कीपिंग, शीप ब्रीडिंग तथा झोटा बुग्गी आदि के लिए मिल सकेगा । लेकिन 'इसके साथ साथ मैं यह भी रिक्वैस्ट करुंगा कि गांवों में जो कारपेन्टर्ज और लुहार हैं, उनके पास भी जमीनें नहीं है । वे जमींदारों का हल आदि ठीक करने का काम करते हैं । उन्हें भी इसमें ऐड किया जाये । दूसरे जो इसमें बड़ी गलती है वह यह है झोटाबुग्गी का तो लोन मिलेगा लेकिन ऊंट बुग्गी का जिक्र नहीं है। कुरूक्षेत्र के इलाके में झोटाबुग्गी होती है लेकिन हमारे यहां तो ऊंट बुग्गी होती है । इसलिये ऊंट बुग्गी शब्द भी इसमें शामिल किया जाये । इसी तरह से खच्चर बुग्गी है उसका भी इसमें जिक्र नहीं है, वह भी इसमें शामिल की जाये । तीन टाईप की बुग्गी होती हैं । ये बुग्गिया गरीब आदमी के लिए आमदनी का बड़ा भारी साधन है । गरीब आदमी इस साधन से सौ सौ रुपये रोजाना कमा लेता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि ऊंट बुग्गी और खच्चर बुग्गी को भी इसमें शामिल किया जाये । इस अमैंडमैंट की आज बड़ी भारी आवश्यकता थी । मैं मन्त्री जी से यह भी निवेदन करुंगा कि जव वे हमें इस बारे में समझाने लगें तो पूरी तरह समझाएं न कि गोलमोल कह कर चले जाएं ।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव सोसाइटिज बिल में तीन चार अमैंडमैंट्स की गई हैं । स्टेटमैंट आफ औब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज के पैरा 2 में लिखा है–

"Primary Co-operative Land Development Banks are advancing longterm loans only to landowners. In order to enable the Banks to advance long-term loans to the landless persons for the purposes like dairy, cattle breeding, poultry, fishery, piggery, bee-keeping, sheep breedirg and Jhota Buggi, it is proposed to make amendment in sec tions E4 and 66 of the Act ibid".

ऐसा करके सरकार ने समाजवाद की ओर बहुत बेहतरीन कदम रखा है । अभी तक लैन्ड डिवैल्पमैंट बैक से सिर्फ ओन्ड ओनर्ज को ही लोन मिलता था लेकिन अब मन्त्री महोदय ने जो अमैंडमैंट रखी है वह बहुत ही सराहनीय है । हरियाणा सरकार मुबारिकबाद की पाव है । गरीब आदमी को लोन दे कर इन्होंने रोटी रोजी का प्रबन्ध किया है । जिस तरह से आजकल पढ़े–लिखे लोगों में बेकारी है इसी प्रकार से अनपढ़ लोगों में भी बेकारी है । यह अमैंडमैंट करके अनपढ़ लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है । मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने सारे हिन्दुस्तान में यह पहल की है । किसी भी सूबे में लैन्डलैस आदमी को डिवैल्पमैंट बैक से कर्जा बिना कोई चीज प्लैज किये नहीं मिलता है लेकिन हरियाणा सरकार ने यह पहल की है । सरदार प्यारा सिंह जी इसके लिए तो बधाई के पात हैं लेकिन इसमें दो

चीजें और जोड़ लेनी चाहिए क्योंकि भिवानी के एरिया में कैमल कार्ट होते हैं और मैली जी के इलाके में झोटाबुग्गी होती है । इसलिए कैमल कार्ट को भी इसमें शामिल किया जाये । इसके साथ साथ खच्चर बुग्गी को भी इसमे ऐड किया जाये । अगर इनको भी शामिल किया जाये तो ये लोग भी अपना गुजारा कर सकते हैं । बैक वाले लोन देते समय एक एक शब्द की छानबीन करते हैं । Therefore, if the Jhota Buggi is replaced, by the animal driven cart that can serve the purpose ऐनीमल ड्रिवन कार्ट कोई भी हो सकता है, उसमें, भैंसें से या किसी भी दूसरे जानवर से ड्रिवन कार्टस, सब आ जायेंगे । स्पीकर साहब, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी ही कोई और अमैंडमैंट लाकर जल्दी से एक करोड़ रुपया जैसे एक अन्य स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट में देने की व्यवस्था की जा रही है, उसी तन्य से एक–एक करोड़ रुपया एक–एक कांस्टीच्यूएंसी में देने की व्यवस्था की जाये ताकि सभी लैडलैस लोगों को लोन देकर रोजगार दिया जा सके । मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का स्वागत करता हूं और सरकार का धन्यवाद करता हूं कि वह ऐसी शानदार अमैंडमैंट लायी है ।

श्री भले राम (बड़ौदा–अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, मैं तो नौमीनेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि तीन साल का जो पीरियड किया गया है, यह बिल्कुल ठीक है । लेकिन पास्ट प्रैक्टिस ऐसी देखने में आयी है कि जिसको भी नौमीनेट

करते हैं, पहले उसको एक साल के लिये करते हैं, दूसरी दफा एक साल की ऐक्सटैशन दी जाती है और तीसरी बार फिर उसको एक साल की ऐक्सटैशन दी जाती है । मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी को नोमीनेट करते हो तो उसी वक्त टोटल पीरियड मैन्शन कर देना चाहिये यह नहीं होना चाहिये. कि वह अफसरों के रहम पर लटकता रहे ।

श्री अध्यक्ष : भलेराम जी, अब तो उन्होंने ऐसा कर रखा है कि 'केवल अफसर ही नौमीनेट कर रहे हैं, प्राइवेट आदमी नहीं कर रहे हैं ।

श्री भले राम : सर, मेरा कहना यह है कि तीन साल के लिए इकट्ठा ही नौमीनेट कर देना चाहिये ताकि किसी किस्म की बाद में दिक्कते न हो । फार एग्जैम्पल मैं जब ऐजुकेशन बोर्ड में नौमीनेट हुआ था उस वक्त हालांकि ऐक्ट में प्रोवाइडिड है कि तीन साल के लिये नौमीनेट होगा लेकिन मेरी बारी पहले एक साल, फिर एक साल और फिर तीसरी बार एक साल की एक्सटैंशन दी गयी । मुझसे पहले जितने भी चेयरमैन आये, उन सब को तीन साल के लिये नौमीनेट किया गया था । इस तरह की डिस्क्रिमीनेशन नहीं होनी चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि तीन साल के लिये एकदम ही नौमीनेट किया जाये न कि एक–एक साल बाद उनको ऐक्सटैंशन दी जाये मुझे यही कहना था ।

चौधरी अजमत खां (नूह) : स्पीकर साहब, जहां तक 3 साल की मियाद का सवाल' है, इसको क्यों न 5 साल ही कर दिया जाये? पहले तीन साल से मियाद दो साल हुई लेकिन अब दो साल से बढ़ा कर तीन साल की जा रही है । फिर यह मियाद 5 साल होगी । इस तरह से बार–बार अमैंडमैंट नहीं लानी चाहिए । इससे जो कोआप्टर हैं उनको उनका हक नही मिल रहा 'है । च चाहिए तो यह था कि नए बोर्ड की कांस्टिव्यूशन के लिए इलैक्शन हों लेकिन यदि'' ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज को ऐक्सटैन्शन देनी ही है तो हर साल इस तरह से पहले 6 महीने तक नौमीनेट करने की बात हो, फिर उसको बढ़ा कर दो साल कर लिया जाये और अव तीन साल करने जा रहे हैं यह बात ठीक नहीं है । 'इसलिए मैम्बरान की इच्छा यह है कि इसको 2 साल से एकदम 5 साल बढ़ा दिया जाये ताकि डिपार्टमैंट ठीक तरीके से काम कर सके ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव मिनिस्टर साहब ने स्टेटमैंट औफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज के पैरा 2 में लैंडलैस के लिये लोन देने के बारे में कई चीजों का जिक्र किया है । यह बहुत ही अच्छा बिल है । इससे गरीब लोगों को भी कर्जा लेने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा । कई साथियों ने ऐसे कई नाम बताये हैं जिन्हें झोटा–बुग्गी के साथ जोड़ने की मांग की है क्योंकि इनका इसमें जिक्र नही है । आपको पता है कि आम किसान बैल गाड़ी चलाता है और बैलों से

खेती भी करता है । मैं यह चाहता हू कि इसमें बैल गाड़ी भी जोड़ दिया जाये ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी) : स्पीकर साहब, इन सारी चीजों कैं लिये, चाहे वह घोड़ा हो या हाथी हो, एक लफज है ऐनीमल । मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके अन्दर ऐनीमल का शब्द जोड़ दिया जाये तो सारी बात ही खत्म हो जायेगी क्योंकि आपको पता है कि लोन देने वाले को किसी न किसी किस्म का लैकूना चाहिये । अगर ऐनीमल लफज इसके अन्दर होगा तो कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा । यह बिल काबिले तारीफ है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसके अन्दर अगर ऐ नीमल का लफज जोड़ दिया जाये तो इसके अन्दर कोई कसर बाकी नहीं रहैगी ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, मैं जवाब तो नहीं दूंगा, जवाब तो कन्सर्ड मिनिस्टर साहब ही देंगे । मैं तो बतौर मैम्बर अपने राईट को ऐक्सरसाईज करना चाहता हूं । स्पीकर साहब, नेहरा साहब ने यह कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज की अप्वायंटमैंट का पीरियड 2 साल से बढ़ा कर 5 साल कर दिया जाये । सच बात तो यह है कि यह कोआप्रेटिव अदायरों में जो नौमीनेशन की प्रैक्टिस है, यह डैमोक्रेटिक सिस्टम के विरुद्ध है । ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने वासी बात को डिसकरेज करना चाहिये । इस केस में तो खास बात यह हे कि जो कोआप्रेटिव शूगर मिल्स नयी खोली गयी थीं, उनका

टीथिग पीरियड अभी सौल्व नहीं हुआ है । इसकी तो बैकग्राउन्ड यह है । अदरवाईज कोआप्रेटिव अदायरों में तो चाहे वह मार्किट कमेटी हो या कोई दूसरा अदायरा हो, कोआप्रेटिव ऐक्ट में तरमीम करके या टविस्ट करके ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये जाते हैं । नेहरा साहब ने यह कहा कि अधिकारी बहुत पढे–लिखे होते हैं । हें उनको बताना चाहता हूं कि कई मिनिस्टर भी ऐसे हैं । सवाल यह है कि एक अधिकारी को तो अधिकार दिये जा सकते हैं लेकिन किसी दूसरे को नहीं दिये जा सकते । मैं और नेहरा साहब अफसर नहीं बन सकते क्योंकि न तो हमने कोई ट्रेनिंग की है और न ही उनकी तरह से कोई ऐग्जाम क्वालीफाई किया है । अधिकारी जब तक इलैक्शन न लड़े, मैम्बर नहीं बन सकता । इसलिये तो हम इस पीरियड को दो साल से तीन साल कर रहे हैं वरना तो चुनाव कराने चाहिए ।

स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से, मैं सरदार प्यारा सिंह जी' और मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि इस बिल का जो दूसरा भाग है, वह गरीब आदमियों के लिये, लैडलैस लोगों के लिये, जिसमें हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के काफी संख्या में लोग कवर होते पैं, काफी लाभदायक है । हाउस में एक दिन एक माननीय सदस्य ने उठकर यह कहा कि किसान का तो लगभग 113 करोड़ और 5 करोड़ रुपया मुआफ कर दिया, लेकिन बाकियों के लिये कुछ नहीं किया । बाकी के लिये भी कुछ करना चाहिये । पहले जो कर्जा मिलता था वह जमीन जायदाद को प्लैज

करने के बाद मिलता था, लेकिन उनको अब बिना कुछ प्लैज किये वह कर्जा मिल सकेगा । इसलिए इस बिल को लाने के लिये वे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) : स्पीकर साहब, इस अमैंडमैंट में दो मुद्दे हैं । एक तो यह है कि एक साल की मियाद हम और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं । सुरजेवाला साहब ने इस हाउस को बताया है कि तीन शूगर मिल्ज जो नयी–नयी खुली हैं, उनके लिये यह करना जरूरी है वरना तो उनका काम खड़ा हो जायेगा । दूसरी बात यह है कि हम 4 नये पी ० एल० डी ० बैक तोशाम, बेरी, कलानौर और निसंग में खोलने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : जिस वक्त आप शूगर मिल रजिस्टर करवाते हैं, लोगों से पैसा मांगते हो और उनको शेयर खरीदने के लिये कहते हो, उस वक्त तो आप उनको यही कहते हो कि आप इसके मालिक हो लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज का पीरियड कभी 6 महीने बढ़ा दिया तो कभी एक साल बढ़ा दिया और कभी 2 साल तक बम दिया जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है । नेहरा साहब चाहें तो 10 साल तक भी कह देंगे कि बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज के चुनाव न हों लेकिन उन्होंने कहने को तो कह दिया लेकिन जब पेपर वाले लिखेंगे तो 'पता लगेगा कि यह बात कितनी अच्छी हैं या बुरी है ।

श्री प्यारा सिंह : बाकी सब संस्थआओं के चुनाव हो चुके हैं । सब की मियाद 5 साल की है । हम उनके लिये मियाद आगे बढ़ाने नहीं जा रहे है । स्पीकर साहब, दूसरी बात लैडलैस वाली है । मैं हाउस का बहुत आभारी हूं । मेरे बहुत से साथियों ने इस बारे में मेरा साथ दिया है । मैं उसके लिये उनका शुक्रगुजार हूं । अमर सिंह जी अभी यहां पर बोल रहे थे । इस बिल को ऐप्रूव कराने के लिये एक मीटिंग बुलाई गयी थी, उसमें वे भी थे । हरियाणा ही सारे हिन्दुस्तान में पहली स्टेट है जो ऐसा करने जा रही है । कई लोगों ने यह कहा कि लोग पैसा खा जायेंगे । लेकिन उनकी यह बात गलत बै । जो गरीब आदमी होता है, वह ईमानदार होता है । 7 हजार रुपये तक हम कर्जा बिना सिक्योरिटी के देने का फैसला कर रहे हैं । इसके लिये 11 करोड़ रुपया दिया जायेगा । इस बारे में कोई पाबन्दी नहीं है । पी० एल० डी० ० बी० की सारी की सारी स्कीमें यहां पर लागू होंगी । इस बिल में लिखा हुआ है झोटा–बुग्गी ''बगैरा'' इसमें मेरा कहना यह है कि इसमें पी० एल० डी० बी० की सारी स्कीमें लागू होंगी । इसमें कोई पाबन्दी नहीं है । मैं अन्त में प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को मंजूरी दी जाये ।

श्री कंबल सिंह : स्पीकर साहव, स्टेटमैंट आफ औबजैक्ट्स एंड रीजन्ज को पढ़ने पर कहीं नजर नहीं आता कि इसमें ऐटसैट्रा शब्द लिखा हुआ है–

श्री प्यारा सिंह : मैं हाउस को आश्वासन दिलाता हूं कि पी० एल० डी० बी० की सारी स्कीमें लागू की जाएंगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (थर्ड अमैन्डमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने 1

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनेक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं– कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(5) दि पंजाब लैंड रैवैन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार रैवेन्यू, दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसीडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, **I** beg to move—

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

That the Punjab Land Rcvenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी इन्द्र सिंह नैन (बरवाला) : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने जो बिल पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा भारत भी कृषि प्रधान देश है । स्पीकर साहब, कांग्रेस ने जब से आजादी ली तभी से लोगों को, हरिजनों को और वीकर सैक्शन्ज के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी हैं और अब भी देने जा रही है । लेकिन देश में पहली बार हरियाणा गवर्नमैंट ने और चौधरी बंसी लाल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में मैं कह सकता हू कि सारे देश में इसके अलावा और कोई दूसरी मिसाल नहीं है । इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को और चौधरी बंसी लाल को सारे हरियाणा के किसानों की ओर से इन जनरल और अपने हल्के। की ओर से इन पर्टिकुलर मुबारिकबाद देता हूं । स्पीकर सर, मुगलों का राज्य आया, अंग्रेजों का राज्य आया और अढ़ाई साल उन लोगों का भी राज्य आया जो अपने आपको किसान का हितैषी कहते हैं लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया यह सब को मालूम है । अच्छा होता कि वे यहां पर होते

और हमारी बातों का जवाब देते और चौधरी बंसी लाल द्वारा किए गए अच्छे कामों की सराहना करते । लेकिन यहां पर सरदार लछमन सिंह अकेले बैठे हैं । मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि उनको समझाए और उनको सदबुद्धि दें कि वे यहां पर आएं और अच्छे काम की सराहना करें । स्पीकर साहब, इस अच्छे काम की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है । यह ठीक है कि इससे सरकार पर बोझा पड़ेगा लेकिन जो काम सरकार ने किया है उससे इसकी इज्जत बढ़ेगी । इस बिल में जो अमैन्डमैंट की गई है इससे किसानों को बहुत फायदा होगा । स्पीकर साहब, हमारी नीति यह है और हम यह चाहते हैं कि हर चेहरे पर लाली हो, हर घर में खुशहाली हो और हर खेत में हरियाली हो । यह नीति कांग्रेस की है । स्पीकर साहब, हम रास्त बनाते हैं और अपोजीशन वाले भाई रास्ता रोकते हैं । हरियाणा सरकार दरख्त लगाती है और अपोजीशन वाले भाई दरख्त काटते हैं 1 मैं हरियाणा सरकार को एक बार फिर मुबारिकबाद देता हूं और अपने यंग मंत्री जी जिन्होने वह प्रस्ताव पेश किया है को भी मुबारिकबाद देता हूं । स्पीकर साहब आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

चौधरी तैयब हुसैन (तावडू) : स्पीकर साहब, हाउस के सामने जो यह अमैंडमैंट बिल पेश है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं और हरियाणा सरकार को इस बात के लिए मुबारिकबाद देता हू कि उसने चौधरी बंसी लाल की अगवाई में

एक ऐसा अच्छा कदम उठाया है । यह सरकार खासकर इस बात के लिए भी मुबारिकबाद की मुस्तहिक है कि यह एलान गुड़गांव की सरजमीन पर, जो गुरु द्रौणाचार्य की जमीन है, किया गया । अगर इसको सही मायनों में गुड़गांव डिकले– रेशन कहा जाए तो गल्त नहीं होगा । इस तारीखी फैसले का एलान तारीखी मुकाम पर किया गया इसके लिए हम बंसी लाल की सरकार के मश्कूर हैं और मैं जनता की ओर सै और किसानों की ओर से सरकार को मुबारिकबाद देता हू कि उसने इतना बोल्ड कदम उठाया । इससे हरियाणा के लोगों को काफी राहत मिली है । इस के लिए मैं सरकार का मश्कूर हूं ।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, हाउस के सामने जो अमैंडमैंट बिल पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इस्के लिए सरकार को मुबारिकबाद देता हूं । स्पीकर साहब, यह लैंड रैवेन्यू टोडरमल के जमाने से शुरु हुआ था और अभी तक किसानों पर लागू था । चौधरी बंसी लारव ने मुख्य मन्त्री बनते ही 3 करोड़ 22 लाख का लैड रैवेन्यू खत्म करके एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है । स्पीकर साहब, मालिया माफ करने के लिए सामान्य जनता की तरफ से कोई मांग नहीं थी लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री ने हिन्दुस्तान में पहली दफा इतना बोल्ड कदम उठाया है । स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान में हरियाणा पहला सूबा है और चौधरी बंसी लाल जी पहले मुख्य मन्त्री हैं, जिन्होंने लैंड रैवेन्यू माफ

किया है । मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा फैसला है और हिन्दुस्तान के सारे सूबे इसका अनुकरण करेंगे । स्पीकर साहब, देखने में तो यह छोटी सी बात नजर आती है लेकिन किसान के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है ।

स्पीकर साहब, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं । आज सवेरे नील गाय का जिकर हाउस में आया था कि नील गाय बहुत तंग करती थैं और इस सम्बन्ध में सुरजेवाला जी ने काफी अच्छी बात कही थी । विरोधी दल के भाई कहते हैं कि यह जो मालिया माफ किया है यह उस तरह नहीं किया जैसे वे चाहते थे । वे क्या चाहते थे? उनके पल्ले तो, कुछ नहीं है । (विघ्न) स्पीकर साहब, अभी नैन साहब ने कहा कि इस वक्त हाउस में अगर अपोजीशन के भाई होते तो वे हमारी सारी बातें सुनते और वे भी इस वाद–विवाद में हिस्सा लेते और यह महसूस करते कि चौधरी बंसी लाल जी ने, हरियाणा सरकार ने किसानों का लगभग 113 करोड़ रुपये एम० आई० टी ० सी ० का और 3 करोड़ 22 लाख रुपया लैन्ड रेवन्यू का माफ करके किसानों को बहुत राहत दी है । यह सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम है । स्पीकर साहब, मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूं । एक पंडित कथा बाच रहा था । उसने कहा कि अगर कोई आदमी नील कण्ठ के दर्शन कर ले तो वह सीधा ही स्वर्ग में जाएगा । वहां पर बैठा एक जमीदार भी सुन रहा था । उसने पंडित का यह कथन सुनकर कहा कि मैं कल को हल नहीं जोडूंगा और नील कंठ के दर्शन

करके सीधा ही स्वर्ग को जाऊंगा । इतना कहते ही वह खेतों की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक मरा हुआ नील कण्ठ उसे मिला । उसको चादर में लपेट कर वह जमींदार पंडित जी के पास ले आया । पंडित जी को कहने लगा कि पंडित जी आपने कहा था कि अगर कोई आदमी नील कण्ठ के दर्शन कर ले तो वह सीधा स्वर्ग में जाएगा । पंडित कहने लगा कि 'हां' मैंने कहा था । इतना सुनते ही उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर किसी को मरा हुआ नील कण्ठ मिले तो वह कहां जाएगा? पंडित जी ने कहा कि वह सीधा नर्क में जाएगा । पंडित को वह जमींदार कहने लगा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी मेरे साथ जाएगा । यह कह कर पंडित को भी चादर झाड़ू कर (उसने मरा हुआ नील कण्ठ दिखा दिया । इसी प्रकार चौधरी देवी लाल जी ने तो मरा हुआ नील कण्ठ देख लिया और साथ ही सारे लोकदल के एम० एल० एज० को भी मरा हुआ नील कण्ठ दिखा दिया । स्पीकर साहब, अपोजीशन की तरफ की सारी बैचिज खाली पड़ी हुई हैं, कोई आता नहीं । स्पीकर साहब, हाउस में आना तो क्या, एक तरफ वे लोग बात करते हैं जमहूरियत की और दूसरी तरफ बात करते हैं तोशाम के इलैक्शन की । तोशाम से इलैक्शन तो उन्होंने क्या लड़ना था, इलैक्शन के वक्त उस तरफ उन्होंने मुंह तक करके नहीं देखा । वे जानते थे कि अगर उधर गये तो कहीं. लोग कपड़े न फाड़ दें । एक तरफ लोगो के विकास की बात है और दूसरी तरफ विनाश की बात है । स्पीकर साहब, अच्छी बातों की उनको तारीफ करनी चाहिये । अच्छी बातों का उनको आदर करना

चाहिये लेकिन यहां पर तो अपोजीशन के पास कोई ठोस बातें करने को हैं ही नहीं । सुरजेवाला साहब ने ठीक ही कहा कि यहां तो नील गाय की तरह से खेतों को उजाड़ने व लोगों को मिस गाईड करने और धोखा देने की ही बातें होती हैं । अपोजीशन की ओर से कोई सुझाव या कंस्ट्रकटिव बात होती ही नहीं । इन शब्दों के साथ यह जो अमैंडमैंट सरकार यहां पर लाई है, इसका मैं समर्थन करता हूं और चौधरी बंसी लाल व अपनी हरियाणा सरकार को मुबारिकबाद देता हूं क्योंकि हरियाणा सरकार ने यह बहुत बढ़िया पहल की है । मैं समझता हूं और चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सभी स्टेट्स हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के इस पग को फौलो करेंगे । धन्यवाद ।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर) : स्पीकर साहब, यह जो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में ऐतिहासिक अमैंडमैंट आई है, मैं भी इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । स्पीकर साहब, आप सब जानते हैं और यह हाउस जानता है कि देश की इकौनोमी खासतौर से किसानों पर निर्भर करती है । किसान अगर कच्चा माल पैदा न करें तो यह कारखाने, यह व्यापार आदि कैसे चलें? इसलिये किसानों को जितनी भी राहत दी जा सके, देनी चाहिये । सरकार ने जो 113 करोड़ रुपये खालों को पक्के करने का और जो लैन्ड रेवेन्यू माफ किया है, इसका असर अवश्य ही किसानों पर पड़ेगा और उन्हें कुछ राहत सी महसूस होगी । यह सरकार का बड़ा ही सराहनीय कार्य है । इसके साथ साथ सरकार ने एक और

काम बहुत ही काबिले तारीफ किया है । जो भाई रजिस्ट्रीज करवाते थे, जो जमीन खरीदते थे या बेचते थे और उसके लिये जो टिकटें लगती थीं जिस से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इस को भी हमारी इस सरकार ने खत्म कर दिया है । रजिस्ट्री वगैरह पर अब कोई टिकट वगैरह नहीं लगेगी । मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं । यह भी एक बहुत अच्छा और उत्साहवर्धक कदम सरकार ने उठाया है ।

स्पीकर साहब, अभी अभी कोआप्रेटिव सोसाइटीज बित भी सदन द्वारा पास हुआ है । इसके तहत लैन्डलैस किसानों को और गरीबों को कर्जा देने की बात की गयी है, यह एक बहुत ही अच्छा कदम है । इस सरकार ने इस तरह की पहल की है, जिसके लिये वह बधाई की पात्र है । अतः मैं इस अमैंडमैंट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह जो अमैंडमैंट पेश की है, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । वास्तव में सरकार ने एक ऐसा काम कियां है जोकि किसी के दिमाग में नहीं था और न ही कोई दूसरा ऐसी बात को सोच भी सकता था कि इस तरह की बात को किया जा सकता है । केवल चौधरी बंसी लाल जी ने ही इस बात को ध्यान किया है कि किस तरह से किसानों की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है । किसानों का मालिया माफ कर देना एक बहुत बड़ा कदम है । अध्यक्ष महोदय, आप पुरानी बातों को सोचते होंगे । गांव में

मुजारे होते थे और मालिक होते थे । वह समय ऐला था जब केवल मालिक रिहायश के लिये प्लाट्स, जमीन जायदाद खरीद सकते थे । मारूसियाना हक 1881 से पहले नहीं बना था । उस समय जमीन वाला ही गांव में सब कुछ था । आज जो किसानों के लिये सरकार ने राहत दी है, मालिया माफ किया है, जमीन और नजमीन वालों को बराबर कर दिया है यह बहुत बड़ी चीज है । आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा कदम होगा । जमीन और नजमीन वालों में आपस में जो अन्तर था, अब वह अन्तर नहीं रहा है । पहले लोग जमीन के लिये टैक्स देते थे और पुराने जमाने में इस टैक्स की वजह से लोग जमीन छोड़ जाते थे और भेु–बकरियां और पशु रखकर अपना गुजारा करना ज्यादा पसन्द करते थे क्योंकि वे समझते थे कि अगर हमारे पास जमीन होगी और पूछताछ कें लिये हमारे पास पटवारी आएगा, तहसीलदार आएगा, पुलिस आएगी, हमारी अटैचमैन्ट होगी और हमें जेल जाना पड़ेगा । इस लिये वे जमीन रखना पसन्द नहीं करते थे । स्पीकर साहब, आज से 50– 100 साल पहले जमीन के साथ हैसियत भी थी और एक तरह की दिक्कत भी थी लेकिन आज इन सब बातों को बराबर कर दिया गया है । आज जितने भी एक्ट आए, जितनी भी बातें यहां पर हुई, यदि विरोधी पक्ष के भाई यहां होते तो उनके पास उन बातों के सम्बन्ध में बोलने के लिये कुछ नहीं होता । कोई ऐसा प्रोग्राम उनके पास नही था जिस पर वे बोल सकते । सरकार ने ऐसी कोई बात छोड़ी ही नहीं जिस पर वे बोल सकते । सरकार ने मालिया माफ कर दिया । गरीब लोगें को, लैन्डलैस

लोगों को कर्जा देना, खालों का 113 करोड़ रुपया जो बहुत दिनों से किसानों की ओर बकाया था उसे माफ कर देना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी । सरकार के ऐसे करने से जमीदारों की हालत सुधरेगी । इसके साथ साथ और भी कई प्रकार की सहुलियतें सरकार ने किसानों को मुहैया की हैं । हमारे विरोधी दल के भाई रोज किसानों का नारा लगाते हैं लेकिन बात जाटवाद की करते हैं ' मैं यह निस्संकोच यहां पर कह सकता हूं कि आज यदि चौधरी देवी लाल जी यहां आते तो हम उन से यह पूछते कि आखिर आप हरियाणा के अन्दर क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हरियाणा के अन्दर जाटवाद आए । आपका मकमद क्या है? जिस प्रकार सिख लोग पंजाब में खालिस्तान चाहते हैं क्या उसी तरह से आप यहां पर जाटस्थान चाहते हैं? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जबकि अपोजीशन के सारे बैंचिज खाली पड़े हैं । हरियाणा सरकार आज किसानों के लिये, गरीब लोगों के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये और हरिजन भाईयों के लिये, जैसा मुनासिब समझती है, कर रही है और आगे करने के लिये तत्पर है । कांग्रेस पार्टी ने ही यह सब कुछ किया है । दुनिया में ऐसी बातें नहीं हो सकतीं, जितनी कि कांग्रेस सरकार ने 38– 39 सालों में की हैं । अंग्रेजों का यदि इतिहास उठाकर देखें, तो 1211 में मैगना कार्टा बना और उसके बाद कई चार्टर आफ डिमांडज आए । तब कहीं जाकर 17वीं, 18वीं व 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की हालत ठीक हुई । लेकिन गुलामी समाप्त होने के बाद हिन्दुस्तान में 39 साल में हरेक की माली हालत ठीक

हो गई है । यह कांग्रेस सरकार की ही देन है । क्या यह उन लोगों की देन है जो पंजाब में खालिस्तान और इधर जाटस्थान चाहते हैं? वे तो चाहते हैं तबाही हो और यहां झगड़ा हो । स्पीकर साहब, जहां तक किसान की बात है, ईससे अधिक किसान को और क्या फायदा हो सकता है? सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है और किसान आज सरकार की वाहा वाहा कर रहे हैं । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह एक ऐसा कदम उठाया है जोकि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी सूबे में ऐसा नहीं कि जमीन पर टैक्स न लगता हो सिवाए सोशलिस्ट कन्ट्रीज के जिनको कम्युनिस्ट कन्ट्रीज कहते हैं क्योंकि वहां तो सारी जमीन ही सोसायटी की होती है । लेकिन जहां कम्युनिज्म नहीं है वहां के लिए यह पहला उदाहरण है कि जमीन पर कोई टैक्स नहीं है, यानी ओनरशिप पर एक पैसा भी टैक्स नहीं है । ऐसा करने से हमारे खजाने को 322 लाख रुपए सालाना का नुकसान होगा लेकिन सरकार ने इस नुकसान को न सोचते हुए किसानों को यह सुविधा दी है । किसानों के साथ साथ सरकार ने हर वर्ग को सुविधा दी है । जैसे हरिजनों को नौकरियों में सुविधा दी तथा कर्जा देने में सुविधा दी । सरकार चाहती है कि हर वर्ग का उत्थान हो । किसानों के लिए हमारे विरोधी भाई हमेशा यह कहा करते थे कि कांग्रेस ने क्या किया । किसान के लिए कांग्रेस सर्कार ने सड्कों का प्रबन्ध किया, पानी का प्रबन्ध किया तथा बिजली का प्रबन्ध किया । कांग्रेस के लोग विरोधी भाइयों की तरह नहीं हैं कि सदन में आए नहीं और किसानों की

बात करें । मैं एक बार फिर सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने यह बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है । धन्यवाद ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : स्पीकर साहब, मैं मी दूसरे बोलने वाले मैम्बरों के साथ चौधरी बंसी लाल जी को और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने गुलामी के दौर का लगा हुआ किसान का टैक्स खत्म करके शहीदों के स्वप्न को साकार किया है । इस बिल में लिखा है कि किसान जो चीजें लेता है जैसे दवाई है, खाद है ये बहुत मंहगी हो गई हैं उसको देखते हुए यह टैक्स खत्म किया है । यह बहुत अच्छा काम है । इसके साथ साथ सरकार ने 113 करोड़ रुपया खालों का भी माफ किया है । इसके बावजूद भी मैं यह चाहूंगा कि किसान को जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनके भाव निश्चित करवाए जाएं । आज क्या होता है कि जब चाहो व्यापारी खाद की कीमत बढ़ा देते हैं और जब चाहो दवाइयों की कीमत बढ़ा देते हैं । इसलिये – इसके लिए भी कोई कानून वनाया जाए ताकि वे तोरा इन चीजों के भाव बढ़ाने में मनमानी न कर सकें । ऐसा करने से किसानों को बहुत भारी लाभ होगा । किसान देश की रीढ़ की हड्डी है । इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार को बधाई देता हूं और इस अमैंडमैंट की पुरजोर हिमायत करता हूं (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) ।

चौधरी सूबे सिंह पुनिया (उचाना कलां) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो विधेयक पेश किया गया है मैं इसके समर्थ

न में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए जो किसानों की भलाई के लिए की गई है हरियाणा सरकार को और इसके नेता आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं । केवल मेरे क्षेत्र के ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा के किसानों की भावना मेरी इस बात से जुड़ी हुई है । सारे हरियाणा में इस बात की बहुत प्रशंसा की गई है । हरियाणा सरकार का और चौधरी बंसी लाल जी का नाम जिस तरह से विकास के साथ जुड़ा हुआ है उसी तरह से लोगों की भी आशाएं हैं कि हरियाणा इसी तरह से आगे भी दिन प्रति दिन आर्थिक तौर पर प्रगति करता जाएगा । मैं एक बात कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि किसानों को वे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो उद्योगों को मिल रही हैं लेकिन हरियाणा सरकार ने यह जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक निर्णय लिया कि किसानों का लगान माफ कर दिया जाए इसकी मिसाल कहीं और से नहीं मिलती है । जो राज्य अपने यहां हरित क्रांति लाना चाहते हैं उनके लिए हरियाणा एक मार्स दर्शक सिद्ध होगा । आज खेती पर बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए जैसे खाद, बीज, कीट नाशक दवाइयां तथा अन्य उपकरण जिससे हम खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं और राज्य में खुशहाली ला सकते हैं उनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ गए थे । सरकार ने किसानों को यह राहत देकर उनको बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है । किसानों ने भी इस राहत की और इस सुविधा की बहुत प्रशंसा की है । मैं भी अपनी भावनाएं. सदन के अन्य सदस्यों के साथ जोड़ता हूं कि इस तरह की सुवि– धाओं से किसानों को बहुत

फल मिला है । मैं आगे के लिए भी आशा करता हूं कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री लछमन सिंह (कालका) : डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत अच्छी अमैंडमैंट है । हरियाणा के लोगों पर यह एक बहुत पुरानी लानत थी । बहुत पुराने युग का एक लम्बरदारा सिस्टम था और मालिए की कलैकशन का तरीका बहुत खतरनाक था । जमींदार महसूस करते थे कि उन पर यह एक तरह का जजिया लगाया जाता है जो उन्हें लगान की शक्ल में देना पड़ता है । पुराने जमाने में बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीन इसी वजह से छोड़ दी थी कि उनके ऊपर मालिया लगता था । भले ही आज उन जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन उस समय लोगों में ऐसी भावना थी । मैं इस अमैंडमैंट को पास करने के लिए स्पोर्ट करता हूं । मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं कि इससे जमीदारों को एक मैंटल राहत तो जरूर हुई है लेकिन वे बहुत पिछड़े हुए हैं और उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी है । जैसे प्रक्योरमैंट की बात है, किसान मारा मारा फिर रहा है । उसको सही कीमत नहीं मिलती । इसके लिए सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिएं । प्रक्योरमैंट बहुत कम है । वैसे तो यह भारत सरकार का सबजैक्ट है, सुरजेवाला साहब हंस रहे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमैंट भी इस बारे में बहुत कुछ कर सकती है । वह पानी दे

सकती है, बिजली दे सकती है । सुरजेवाला साहब बहुत इन्टैलीजैटं मिनिस्टर हैं वे ऐसी कोशिश कर सकते हैं । कर्नल साहब भी ज्यादा बसे चला कर किसानों को खुशहाल करेंगे किसान की खुशहाली से हरियाणा भी खुशहाल होगा । इन शब्दों के साथ मैं दर्खास्त करूंगा सरकार से भी और ट्रेजरी बैंचिज से भी कि जमींदारों के लिए जो करना बाकी है वह करें

17—00 बजे ।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमैंडमैंट जो सदन के सामने रखी गई है इस बारे में हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा अपनी गुड़गांव की जन सभा में की थी । जैसे मेरे दूसरे माननीय साथियों ने इसकी ताइद की है मैं भी उनके साथ अपने सैंटीमैंटस जोडतीं हूं । मैं यह समझती हूं कि यह एक बहुत बडा ऐतिहासिक कदम है और एक पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने की मन्शा जाहिर करता है । जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि एक ऐसा समय भी था जब किसान लगान नहीं दे सकते थे और कइयों ने इस वजह से अपनी जमीन छोड़ दी थी । यह हमारे सामने की बात है । बहुत सारो को इस तरह का सामना करना पड़ता था कि लगान नम्बरदार को दे दिया और नस्बरदार ने आगे जमा नहीं करवाया तो वह भी परेशान और उधर से किसान परेशान । कई बार जब अकाल पड़ जाता था या बाढ़ आ जाती थी तो सरकार को लगान माफी की घोषणा करनी पड़ती थी ।

इस अमैंडमैंट के लाने से पहले विरोधी दल के भाईयों ने यह प्रचार किया था कि यह लैण्ड रेवेएन्यू केवल एक ही साल के लिए माफ किया गया है । जब यह कानून बन गया तो उस भ्रांति का भी सफाया हो गया और इस कानून से हरियाणा ने भूमि लगान हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिया है जिसे किसान एक बहुत बड़ी राहत समझेंगे । मेरे विरोधी पक्ष के भाई यह प्रचार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन मैं यह कहते हुए गौरव अनु भव करती हूं कि अगर किसानों की भलाई के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं तो वह कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी हैं । बारदोली के सत्याग्रह की बात कोई नहीं भूल सकता और आज आप जिस हरित क्रांति के परिणाम देख रहे हैं, जिन कारणों से हरियाणा एक सरप्लस स्टेट बनी है वह कांग्रेस पार्टी की नीति की वजह से ही है । जो ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कृषि अनु–संधान केन्द्रों की स्थापना की गई, किसानों को अच्छे से अच्छा बीज दिया गया और खाद में राहत दी गई यह भी हमारी पार्टी की नीति के कारण हुआ । इसके अलावा सरकार ने यह भी सोचा कि किसानों का लैण्ड रेवेन्यू भी माफ कर दिया जाए तो वह भी माफ कर दिया । सरकार किसानों की भलाई के लिए हरदम चिन्तित रहती है । सरकार यह जानती है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान उसकी रीढ़ की हड्डी है इसलिए किसानों को जितनी राहत और सुविधाएं दी जा सकें दी जानी चाहिएं । साथ ही आज सदन में जितने भी बिल आए हैं उनसे साफ जाहिर है कि सरकार को सभी वर्गों की चिन्ता है । जैसे आज

इंडस्ट्रीयलिस्टस के लिए हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (थर्ड अमैंडमैंट) बिल था। उस बिल के पास होने से इंडस्ट्रीयलिस्टस को दोहरा कर नहीं देना पड़ेगा । जो भाई भूमिहीन थे, वे यह समझते थे कि भूमि वालों का तो लगान माफ हो गया हमारे लिए सरकार क्या करेगी? उनके लिए भी सरकार ने कुछ किया एं । वह यह किया है कि पहले भूमिहीनों को लैण्ड मार्गेज बैंक से कर्जा नहीं मिलता था लेकिन अब वे लैंड मार्गेज बैंक से कर्जा ले सकते हैं । मैं इसके लिए कोआप्रेशन मिनिस्टर, हरियाणा सरकार और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हर वर्ग को बराबर राहत दी है । हर गांव का समाज, सारे के सारे ग्रामीण लोग चाहे वे कोई भी काम करना चाहते हैं वे राष्ट्रीयकृत बैकों से कर्जा तो ले सकते थे लेकिन उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था । अब हमारे बैंक इस मामले में भी लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे और हर गरीब आदमी इस बात का फायदा उठा सकेगा । सरकार ने जो लगान माफ किया है यह बहुत अच्छा कदम है और यह हमारे विपक्ष के भाईयों की उस बात का जवाब है जो वे कहते हैं कि यह तो केवल एक साल का लगान माफ किया हे । विरोधी पक्ष के भाई किसानों के सैटीमैंटस को उभार कर उन्हें हमेशा तोड़फोड़ की तरफ ले जाते हैं । वे किसानों को कहते हैं कि आओ दरखत काट दें इससे आपको एस ० वाई० एल ० का पानी मिल जाएगा । आप रास्ता रोको, बसें जला दो इस तरह करने से आपके काम बन जाएंगे । डिप्टी स्पीकर साहब, आज अगर विरोधी पक्ष के भाई हमारे साथ यहां

सदन में शामिल होते, हो सकता है वे कोई अच्छा सुझाव भी– दे सकते थे लेकिन जहां जनता के कुछ कार्य होते हैं जहां कुछ नियम और नीतियां बनाई जाती हैं उस सदन का तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया है । मेरे विरोधी पक्ष के भाई लोगों में जा कर उनमें जातपात की भावनाएं पैदा कर रहे हैं और आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर रंहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने अपने प्रान्त में अमन और शांति कायम रखी है । मैं अपेक्षा करती हूं कि हमारे देहात की जनता इस बात को समझेगी कि प्रगति तभी हो सकती है जब हम शांति से रहेगे और मिल कर रहेंगे तथा तोड़फोड़ के काम करने के लिए दूसरो के बहकावे में नही आएंगे । हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी सारे किसानों के हर पहलू पर, उनके विकास के लिए, उनको गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने के लिए और उनको समाजवाद को तरफ ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अमैंडमैंट का समर्थन करते' हू ।

चौधरी चन्दा सिंह (नीलोखेड़ी) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो अमैंडमैंट हमारे नौजवान माल मंडी जी ने हमारे सामने रखी है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हरियाणा सरकार एक ऐसी प्रगतिशील सरकार है जो सारे भारत में नम्बर एक पर है । चौधरी बंसी लाल जी को कुदरत ने इसलिए पैदा किया है कि वे लोगों की कठिनाइयों को दूर करें और वह जो भी निर्णय लेते हैं वह निर्माणकारी होता है । वह बहुत निर्माणकारी –कदम उठाने की क्षमता भी रखते हैं । उन्होंने अपने पिछले मुख्य

मंत्रित्वकाल में हरियाणा के अन्दर गांव गांव को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया था वह उन्होंने बहुत जल्दी ही पूरा कर दिया था । पहले तो बहुत मुश्किल लगता था लेकिन थोड़े से असे में ही प्रान्त के हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया । सारे भारतवर्ष में किसी भी प्रान्त के अन्दर गांव गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया है लेकिन यह चौधरी बंसी लाल जी का निर्णय था कि हरियाणा के हर गांव को सड़क से जोड़ना है । उन्होंने वह काम करके दिखा दिया । जो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का निर्णय था वह भी चौधरी बंसी लाल जी का निर्णय था और गिने दिनों में यानी दो साल के अन्दर ही पूरा कर दिया था । और भी बहुत से बड़े बड़े प्रोजैक्टस थे जिनको चौधरी बंसी लाल जी ने पूरा किया था । जहां तक इस अमैंडमैंट का ताल्लुक है । इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जमीन पर सदियों पहले मालिया लगाया गया था । हमने इस लगान को बढ़ाने के बारे में तो बिल सुना था और देखा भी था । लेकिन हमारे दिमाग में यह बात नहीं उतरती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से बिल्कुल ही सदा–सदा के लिए जमीन का मालिया हटा देंगे । हमारे विरोधी पक्ष के नेता चौधरी देवी लाल जी बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि हम किसानों के फलां फलां कर्जे माफ कर देंगे लेकिन अगर करना चाहते तो उनको सारे काम करने के लिए अवसर भी मिला था लेकिन नहीं कर सके । आज भी वह यह कहते हैं कि हम किसानो के लिए बहुत काम करेंगे । जब गुडगावा में चौधरी बंसी लाल जी ने मालिया माफ करने घोषणा की तो उस समय वहां पर सारे

वर्गों के लोग थे, प्रैस वाले भी थे सरकार के दूसरे आफिसर्ज भी थे और दूसरे प्रदेशों के बड़े बड़े नेता भी थे । उन्होंने भी इस बात की बड़ी तारीफ की थी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अमैंडमैंट का समर्थन करता हूं और इसके लिए अपने नौजवान माल मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हू कि उन्होंने यह बहुत ही अच्छा काम किया है ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला–छावनी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बहुत शानदार अमैंडमैंट है जिससे हमने सारे हिन्दुस्तान में एक मिसाल पैदा की है । सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने मालिया माफ किया है । मैं इसमें दो तीन तजवीजें रखना चाहूंगा क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है । जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं वे प्रान्त में काफी माता में नकली पाई जाती हैं । कोई ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए जिससे नकली दवाइयां प्रान्त में न चल सकें । खाद पर भी सबसिडी होनी चाहिए ताकि किसानों को फायदा हो सके । अंग्रेजों बे जमीन पर मालिया लगाया था जिसको आज की सरकार ने खत्म करके बहुत अच्छा कदम उठाया है । लगान माफ करने के साथ साथ 113 करोड़ रुपए खालों का कर्जा भी किसानों का माफ किया है यह भी एक बहुत बड़ी बात है कोई मामूली बात नहीं है । सारे काम अच्छे हैं लेकिन प्रान्त में बिजली की थोड़ी सी कमी है उस तरफ सरकार

ध्यान दे । यदि सरकार बिजली की तरफ तवज्जो दे तो हरियाणा हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर होगा । मैं समझता हूं कि हमारे लायक मंत्री चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी इस तरफ ध्यान देंगे । वह इस बात को देखें कि किस तरीके से बिजली की कमी दूर हो सकती है । हमारी सरकार की काम करने की नीति सराहने के काबिल है क्योंकि किसानों की भलाई के लिए जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं शायद ही किसी पार्टी ने किए हों । हमारे मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी कहने में यकीन नहीं करते बल्कि काम करने में, उस बात को अमल में लाने पर यकीन करते हैं । जो काम करने वाले होते हैं वह कहते नहीं करके दिखाते हैं । मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने अढ़ाई साल तक राज किया लेकिन किसानों की भलाई का एक भी काम नहीं किया । लोगों ने उनको पांच साल के लिए यहां भेजा था लेकिन वे अढ़ाई साल में वापिस चले गए । यह जो अमैंडमैंट लाई गई है यह बहुत अच्छी हे किसानों के लिए यह एक बरदान है और सरकार ने यह बहुत अच्छी रिवायत कायम की है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अमैंडमैंट का पुरजोर समर्थन करता हूं । सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है इससे हमारी पार्टी का नाम बहुत ऊंचा हुआ है ।

चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के. तमाम किसान मुख्य मती चौधरी बंसी लाल के और राजस्व राज्य मंत्री श्री निर्मल सिंह के इस बात के लिए धन्यवादी

हैं क्योंकि इन्होंने यह टैक्स किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए माफ किया है । जो अपोजीशन के भाई किसानों के हितों के लिए मगरमच्छ के आमू बहाते रहे हैं वे किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं कर सके । यह सारा श्रेय चौधरी बंसी लाल जी को जाता है । यह उदाहरण दूसरी स्टेटस के लिए भी मार्गदर्शक साबित होगा । मैं आशा करता हूं कि सारे हिन्दुस्तान से यह टैक्स खत्म होगा । यह जो बोझ किसानों पर था, इससे किसानों के अन्दर फूट पड़ती थी । किसान आपसी झगड़ों की वजह से एस० डी० एम०, तहसीलदार और सैशन जज की कोर्ट में परेशान होते रहते थे । आज भी सैकड़ों ऐसे मामले कोर्ट में पैण्डिग पड़े है । मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए यह बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया है । हरियाणा के किसान इस काम के लिए हरियाणा सरकार के अहसानमंद है । इस टैक्स की वसूली के लिए जब पुलिस वाले या तहसीलदार गांव में आते थे तो लोग' गांव को छोड्कर भाग जाते थे । लोगों में बहुत भारी भय बना रहता था, जो अब इस टैक्स के माफ करने से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है । है आशा करता हू कि सरकार भविष्य में भी ऐसे राहत के कार्य किसानों के लिए करती रहेगी ।

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने उन सभी साथियों का 'धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल की तारीफ की है । किसान हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है । हरियाणा प्रान्त एक कृषि प्रधान

प्रदेश है । हरियाणा सरकार ने किसानों की दिक्कत को देखते हुए यह लगान माफ किया है । इससे सरकार को साल में 3 करोड़ 22 लाख रुपये का नुकसान होगा । सरकार ने यह टैक्स हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिया है. । यह लगान बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा था । जब अंग्रेज यहां पर आये थे तो उन्होंने इस टैक्स को एक सिस्टम के रूप में बना कर दिया था । उससे पहले सामन्त और जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे वे भी किसानों से किसी न किसी रूप में उगाही करते रहते थे । जो किंग्ज थे उनका भी एक टारगेट होता था कि किसानों से इतने रुपयों की उगाही करनी है । अंग्रेजी सरकार ने उस पुराने सिस्टम को सन 1877 में बदल कर रैवेन्यू के रूप में इसे लेना शुरु किया । 1977 में कांग्रेस सरकार ने इस टैक्स को लैण्ड होल्डिंग टैक्स के रूप में बदला था । अब यह टैक्स चौधरी बंसी लाल जी ने हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिया है । डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ लोग खाली अपनी कुर्सी के लिए और अपने इन्ट्रैस्ट के लिए राजनीति में रहते हैं । वे लौगों को गुमराह करते रहे हैं और किसानों को ऐक्सप्लायट करते रहे हैं । जो लोग किसानों के नेता बन कर नेतागिरी करते रहे हैं वे अपने राज में किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके । कांग्रेस की सरकार ने चौधरी बंसी लाल की रहनुमाई में लैण्ड रैवैन्यू को माफ करके एक उदाहरण दूसरी स्टेटों के लिए कायम किया है । कांग्रेस सरकार ने एक और अच्छा काम यह किया है कि किसान की मण्डी में जितनी फसल आएगी वह स्पोर्ट प्राईस पर खरीदी जायेगी । एक बार अमेरिका में

इतना अधिक आलू पैदा हुआ कि वहां की सरकार ने किसानों को बचाने के लिए किसानों से सारा आलू खरीद कर समुद्र में डाल दिया । यह काम इसलिए किया कि किसानों का होंसला बना रहे । यही काम हरियाणा की सरकार ने किया है कि जितनी भी फसल मण्डी में आयेगी उसको स्पोर्ट प्राईस पर हर हालत में खरीद करगी । हालांकि आज के दिन फसल को रखने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिल पा रही लेकिन किसान को सरकार मरने नहीं देगी बल्कि उसको हमेशा प्रोत्साहन ही देती रहेगी । मेरे विरोधी पक्ष के भाइयों ने इस बात का भी लोगों में गलत प्रचार किया । उन्होंने सरकार को बधाई देने के बजाये उल्टा किसानों को गुमराह किया । नम्बरदारों को भड़काया कि अब तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी । ऐसी वात नहीं है कि हमने नम्बरदारों के हितों का ध्यान नहीं रखा । डिप्टी स्पीकर साहब, कई बार नम्बरदार अपनी जेब से पैसे जमा करा देता था । कोई 15– 16 लाख रुपया सुनने में आ रहा है किसानों का नम्बरदारों ने अपनी जेब से भरा हुआ है । हमने उनके हित को ध्यान में रखते हुए यह किया है कि वे ऐसे पैसे को किसानों से वसूल कर लें । डिप्टी स्पीकर साहब, आपको सुन कर बड़ी हैरानी होगी कि लोकदल वाले कैसे किसानों को गलत गुमराह करते रहे हैं और कर रहे हैं । इस बारे में मैं अपने गांव के एक छोटे से किसान केहर सिंह की मिसाल सुनाना चाहूंगा । इस घोषणा के बाद जब यह किसान लोकदल के जलसे में गया तो उसने वहां लोगों को बताया कि चौधरी बंसी लाल जी ने कितना अच्छा काम

किया है कि लैण्ड टैक्स हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिया जबकि आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही । उसकी इस बात को सुन कर वहां पर उसे कहा गया कि जब आप लगान नहीं दोगे तो वह जमीन अब आपकी न हो कर सरकार की हो जायेगी । उनकी इस बात को सुन कर वह बेचारा किसान बेहोश हो कर गिर पड़ा । डिप्टी स्पीकर साहब, अन्त में मैं अपने सभी साथियों का, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, **I** beg to move—

That the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(6) दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (रिपील) बिल, 1986

श्री उपाध्यक्ष : अब मिनिस्टर औफ स्टेट फार रैवेन्यू, दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (रिपील) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Land Holdings Tax (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Haryana Land Holdings Tax (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Haryana Land Holdings Tax (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

कि बिल पास किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(7) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री उपाध्यक्ष : अब इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर या अन्य कोई मंदी, दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) sill be taken into consideration at once.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी अजमत खां (नूह) : स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि किसानों की चोरी तो आसानी से पकड़ी जाती है लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के मामले में ऐसा नहीं होता । हर महीने जब आदमी रीडिंग लेने जाता है तो मिल जुल कर रीडिंग जीरो

पर कर देते हैं या कम कर देते हैं । उनकी कंजम्पशन की फिगर्ज लाखों यूनिटस में होती है लेकिन बड़ी आसानी के साथ रीडर्ज उसे कम दिखा देते हैं । उनकी चोरी सभ्य तरीके से होती है । अगर किसान चोरी करता है या बाजोकात किसी बिजली के कर्मचारी से उसका झगड़ा हो जाए तो उस आदमी के खिलाफ चोरी का केस बनता है । इस बिल के द्वारा ऐसे औफैन्स को नौन–बेनेबल बनाया गया है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इसको बेलेबल किया जाए । इसके अलावा मेरी यह भी प्रार्थना है कि पहली बार तो डिफाल्टर से जुर्माना ले लिया जाए और अगर वह दुबारा जुर्म करता है तो केस बनाया जाए ।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल हाउस के सामने आया है यह बहुत अच्छा है लेकिन इस बिल की क्लाज 7 जो सैक्शन 39 औफ ''थैफ्ट औफ ऐनर्जी'' के बारे में है, इंडियन इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट पर जैसा साथी अजमत खां जी कह रहे थे मेरा भी कुछ निवेदन है । इससें डर है कि कहीं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के औफिशियल्ज कंज्यूमर्ज को खामख्वाह तंग न करें । चौधरी अजमत खां जी ने ठीक कहा कि बिग हाउसिज तो बच जाते हैं, वे मेल जोल कर लेते हैं लेकिन गरीब किसान इसमें फंस सकते हैं । मान लो किसी किसान की किसी बिजली बोर्ड के ऐम्पलाई के साथ ऐनिमिटी हो जाए या कोई और बात हो जाए तो वे इस क्लाज का मिसयूज कर सकते हैं । इसलिए मैं मंत्री जी

की तरफ से अश्योरैमं चाहूंगा कि इसमें कोई राईडर लगाया जाये जिससे बिजली बोर्ड का कोई छोटा ऐम्पलाई किसी कंज्यूमर को नाजायज तंग नहीं कर सके । फिर, डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें सजा तीन साल की रखी गई है और फाईन पांच सौ से पांच हजार रुपये तक रखा गया है । इसमें मेरा सुझाव यह शै कि आप सजा की बजाए पहले फाईन ही रखें । इसमें समरी ट्रायल की बात तो रखी गई है लेकिन आप जानते हैं कि कोर्टस का प्रोसीजर काफी लम्बा होता है । कई बार विटनैस नहीं आते और कई बार कोर्ट ही नहीं बैठती । इसमें कंज्यूमर को खामख्वाह काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहब, इस सुझाव के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री जी के आश्वासन की अपेक्षा करता हूं ।

श्री निहाल सिंह (अटेली) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सुजैशन है कि इस बिल पर आज डिस्कशन न करके परसों डिस्कशन कर ली जाए तो बेहतर रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर मिनिस्टर साहब सहमत हों तो मुझे कोई एतराज नहीं ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, इसको 'आप कल के लिए डैफर कर लें क्योंकि परसों मैं यहां नहीं हूंगा । इरैडी ट्रिब्यूनल के सामने आर्गुमैंटस होने हैं और मुझे वहां जाना है । अगर

मैम्बर्ज साहेबान तैयारी के लिए कुछ और टाईम चाहते हैं तो कल के लिए इसे रख लें ।

Mr. Deputy Speaker : Alright, the discussion on this Bill is. deferred for tomorrow.

Now, the House is adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 2nd December, 1986.

17. 27 बजे

(तत्पश्चात सदन मंगलवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 1986, को प्रात : 9.30 बजे तक के लिए 'स्थगित हुआ ।)

ANNEXURE

Unauthorised cutting of trees etc.

***1221. Shri Brij Mohan Singla : Will the Minister of** State for Revenue be pleased to state —

(a) the number of cases of unauthorised cuttihg of trees by road side, if any, registered in the State during the year 1985-86, together with the number thereof and the amount of loss involved therein; and

(b) whether any cases of stolen wood were also registered during the period, as referred to in part (a) above; if so, the quantity of wood, if any, recovered and the ineome accrued from the sale of such wood ?

Minister of State for Forests (Dr. Om Parkash Sharma) :

(A) 2491 such cases were registered in the year 1985-86. 20918 trees were felled and the net loss involved was Rs. 5,04,284.76/–.

(B) No, Sir.